आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

मार्च 2024

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

प्राण प्रतिष्ठा

धार्मिक आयोजन या बहुसंख्यकवाद का प्रदर्शन ?



अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया :

मैं अच्छे अख़्लाक़ को

मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।

(इमाम मालिक : 705)



With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate

Concolim-403703 GOA

Email: sagarffpi@gmail.com

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
ASILA OFFSET PRINTERS
1299, KALAN MAHAL,
NEW DELHI-110002

संपादक : शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 09 मार्च 2024

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

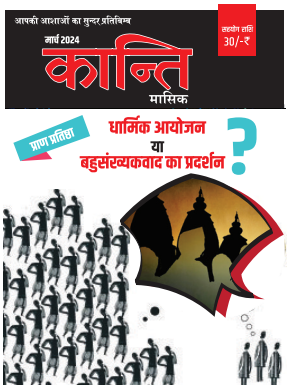

कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
धर्म की मूल अवधारणा पर नास्तिकतावाद और बाज़ारवाद का आक्रमण
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
तुलनात्मक अध्ययन की कसौटी
संपादन प्रभाग

सौंदर्य बोध 09
विभाजनकारी राजनीति का मुक़ाबला
डॉ. एम. इक़बाल सिद्दीक़ी

मुख्य स्तंभ 13
धार्मिक आयोजन या बहुसंख्यकवाद का प्रदर्शन?
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 17
धर्म और राजनीति का आक्रामक मेल
प्रो. नवल किशोर

समाधान 20
मर्यादा में रहना होगा
संपादन प्रभाग

कविता 23
एक बूंद
अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

मंथन 24
विकास के दावों के बरअक्स
डॉ. प्रदीप कुमार

शिक्षा विमर्श 27
समाज हित में नहीं : शिक्षा का ये सच
जितेंद्र गौतम

इबारत 30
जाबिर इब्ने हय्यान
संपादन प्रभाग

धरोहर 32
सांस्कृतिक विरासत की अमिट छाप
शफ़ाअत शाहबंदरी

प्रकाश स्तंभ 38
अनभिज्ञता का दंश
संपादन प्रभाग

सेहत 41
घातक रूप न लेने पाए कमर दर्द
संपादन प्रभाग

करियर 43
ब्लॉकचेन तकनीक : भविष्य का रोज़गार
संपादन प्रभाग

कहानी 45
मेरा देश महान
डॉ. संगीता झा

आख़िरी पन्ना 48
ईश्वर मानव जाति से निराश नहीं
अबुल हसन अली नदवी

मूल प्रश्न



धर्म की मूल अवधारणा पर नास्तिकतावाद और बाज़ारवाद का आक्रमण

शिब्ली अरसलान

अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण और उसके 'भव्य सरकारी उद्घाटन समारोह' पर मैं अपने अंदर चिढ़ और शत्रुता का कोई भाव नहीं पाता। हां, दुःख और तरस का मिला-जुला भाव अवश्य पैदा हो रहा है। दुःख इस बात पर कि कैसे सनातन दर्शन की आत्मा को ज़ख़्मी किया जा रहा। सनातन दर्शन की आत्मा में तो एक ईश्वर की अवधारणा है, जो धर्म का बुनियादी नुक़्ता है।

"एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन' अर्थात एक ही ईश्वर है दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है-अंशभर भी नहीं है। (ब्रह्मसूत्र)

श्री राम भारत देश के महापुरुष हो सकते हैं, ईश्वर नहीं, उसे ईश्वर बनाकर पूजना और भक्ति के नाम पर हंगामा और उन्माद की फ़िज़ा पैदा करना, बहुसंख्यक समाज को ठगने का कुटिल राजनीतिक स्टंट है। यहां का बहुसंख्यक समाज बौद्धिक तौर पर कैसे ठगा जा रहा है, हैरत है। जो सत्य से अवगत हैं, उन्हें भी बोलने की हिम्मत नहीं।

'ईश्वर की अवधारणा' सारे ही बिलीफ़ सिस्टम की मूल अवधारणा है। 'ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है' अर्थात 'अल्लाहु अकबर' सारे मज़हब में अल्लाह अर्थात ईश्वर के संबंध में साझी अवधारणा है। अल्लाह, मुसलमानों की कोई कृति नहीं है, सबका अल्लाह यानी ईश्वर एक है...'अल्लाह' अरबी भाषा का शब्द है, कुरआन के अवतरित होने से पहले भी ये शब्द, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और मालिक के लिए बोलते थे।

'ईश्वर की अवधारणा' सारे ही बिलीफ़ सिस्टम की मूल अवधारणा है। 'ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है' अर्थात 'अल्लाहु अकबर' सारे मज़हब में अल्लाह अर्थात ईश्वर के संबंध में साझी अवधारणा है।

अल्लाह, मुसलमानों की कोई कृति नहीं है, सबका अल्लाह यानी ईश्वर एक है...'अल्लाह' अरबी भाषा का शब्द है, क़ुरआन के अवतरित होने से पहले भी ये शब्द, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और मालिक के लिए बोलते थे। हज़ारों-लाखों देवी-देवताओं को पूजने वाले मूर्तिपूजक अरब भी ये मानते थे कि अल्लाह अर्थात ईश्वर ही सबसे बड़ा है, वो पूरी सृष्टि और सम्पूर्ण जातियों एवं प्रजातियों को बनाने, पालने और विनाश करने वाला है। आज भी वैदिक सनातनी समाज ये मानता है कि संसार के रचयिता, पालनहार और विनाशक यानी ईश्वर सबसे बड़ा है, इसे ही वे महादेव भी कहते हैं।

मुसलमानों के अंदर भी ये जिहालत कभी-कभी देखने को मिलती है कि वे भी ये समझते हैं कि मुसलमानों का अल्लाह और हिंदुओं का ईश्वर अलग-अलग है। हालांकि इस्लाम की ये बुनियादी आस्था है कि सबका रचयिता, पालनहार और मालिक एक है। क़ुरआन में कहीं भी अल्लाह को 'मुसलमानों के ईश्वर' के तौर पर पेश नहीं किया गया है। बल्कि बार-बार ये कहा गया है 'वही है जो पूरी कायनात का रब है। सबका रचयिता, आक़ा, जीवन और मौत देने वाला, पूरे आलम के लिए कृपालू और दया-सागर....'आदि

हिंदुओं से इस्लाम का मतभेद ईश्वर को लेकर नहीं बल्कि ढेरों ऐतिहासिक एवं पौराणिक किरदार को ईश्वर का अवतार मान कर पूजा योग्य मानने से है। राम, ईश्वर नहीं हैं, ये बात पढ़ा-लिखा धार्मिक हिंदू भली-भांति जानता है।

कुछ नादान 'हिंदुत्वा' के झंडाबरदार, मुस्लिम नफ़रत में

'अल्लाह' को गाली बकने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ और कमेंट्स भरे पड़े हैं। एक बार एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता को देखा कि वो एक टीवी डिबेट में, किसी मौलवी साहब से ये कह रहे हैं "जैसे तुम्हारा अल्लाह है, वैसा मेरा राम है"। वास्तव में हिंदुत्वा फासीवादी ब्रिगेड को धार्मिक अवधारणाओं का कोई ज्ञान नहीं है, ये धार्मिक हैं ही नहीं, बस एक पागलपन सवार है जिसे हवा देते रहना है। ये बेचारे नादान जब अल्लाह को गाली देते हैं तो ये अस्ल में ईश्वर को गाली देते हैं, अतः ये बेचारे तरस योग्य हैं।

ये बात हमें समझनी होगी कि 'वैदिक सनातन दर्शन' और 'हिंदुत्व' दो भिन्न चीज़ है। वैदिक सनातनी दर्शन 'ईश्वरीय धार्मिक अवधारणा' रखता है। existence of God के पक्ष में दुनिया में जो काम हुआ है, उसमें मुस्लिम और ईसाई स्कोलर्स के साथ सनातनी स्कोलर्स का भी योगदान है। नवनास्तिकतावाद (NEO-ETHIESM) के अतिवाद और उग्रता से मुक़ाबला के लिए 'ख़ुदा-परस्तों' ने जो तर्कशास्त्र और शैली दरियाफ़्त की है, उसमें सनातनियों का भी अहम योगदान है। जबकि 'हिंदुत्व' कोई धार्मिक नज़रिया नहीं, विशुद्ध राजनीतिक एजेंडा है। इसे परिभाषित करते हुए ये बार-बार कहा जाता है कि इसका धर्म से लेना-देना नहीं है, नास्तिक और अधर्मी भी हिंदुत्व का झंडा उठा सकता है। चूंकि भारत जैसी ख़ुदापरस्त भूमि पर बिना धर्म का रंग चढ़ाए आगे की राह मुश्किल है, अतः हिंदुत्वा ने भी मज़हब का लिबादा ओढ़ रखा है। मज़हब को उसकी रूह ' ख़ुदापरस्ती' और 'इंसान-दोस्ती' अथवा unity of mankind से काट कर बड़ी चालाकी के साथ ' मातृभूमि' और 'संस्कृति' को मज़हब से जोड़ दिया गया है। संस्कृति और मातृभूमि के सिम्बल गढ़े गए, और फिर उसे ख़ुदा के मक़ाम पर बिठा दिया गया। इस पर जीने-मरने की क़सम खिलवायी गयी। इसके अनुसार नई नस्ल की ज़ेहनी- तब्दीली का पूरा पैकेज बनाया गया, उसे पूरी कार्यकुशलता के साथ लागू किया गया। ख़ुदापरस्ती से ख़ाली आध्यात्मवाद (Spiritual-ism) की पुड़िया बांटी गयी। नव-आध्यात्मिक 'आलीशान' बाबाओं की फ़ौज खड़ी हो गयी है जो अब ख़ुद को ' दिव्य पुरुष' और भगवान कहलाने में नहीं शर्माते। हज़ारों-लाखों की संख्या में पढ़े-लिखे सम्भ्रांत घरानों के हिंदू महिला, पुरुष उनके दर्शन और 'दिव्य पर्ची' का चमत्कार देखने उनके दरबार में जाते हैं।

दुःख इस बात पर भी है कि धर्म की बुनियादी शिक्षा और पैग़ाम तो सादगी और नुमाइश से परहेज़ और विशुद्ध भक्ति भाव है। धर्म के नाम पर सैकड़ों-हज़ारों करोड़ का ताम-झाम और पूंजीवादी 'मेगा शो' वस्तुतः धर्म का बाज़ारीकरण है। यही नहीं किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य को राजनीतिक प्रयोग का साधन बनाना, बल्कि राजनीतिक शक्ति द्वारा किसी धार्मिक आयोजन का अपहरण (Hijacking) घोर चिंता का विषय है।

तरस हमें बेचारे मुस्लिम भाईयो पर भी आता है, जो सांप्रदायिक राजनीतिक प्रतिक्रियावाद और कथित धार्मिक उन्माद में ऐसे बदमस्त डूबते चले गए कि ये होश तक नहीं रहा कि उन्हें हिन्दू समाज को ये समझाना था कि हमारे और तुम्हारे बीच दो शक्तिशाली साझा बिन्दु हैं- एक ईश्वर की परिकल्पना (Oneness of God) और मानव जाति की एकता (unity of mankind)।

दुःख इस बात पर भी है कि धर्म की बुनियादी शिक्षा और पैग़ाम तो सादगी और नुमाइश से परहेज़ और विशुद्ध भक्ति भाव है। धर्म के नाम पर सैकड़ों-हज़ारों करोड़ का ताम-झाम और पूंजीवादी 'मेगा शो' वस्तुतः धर्म का बाज़ारीकरण है। यही नहीं किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य को राजनीतिक प्रयोग का साधन बनाना, बल्कि राजनीतिक शक्ति द्वारा किसी धार्मिक आयोजन का अपहरण (Hijacking) घोर चिंता का विषय है।

अंत में,

मूल प्रश्न तीन हैं-ईश्वर के बजाए किसी पौराणिक या ऐतिहासिक महापुरुष और नवआध्यात्मिक बाबाओं के पास अपनी याचना लेकर जाने वाले स्त्री-पुरुष जिस 'उम्मीद' और भक्ति भाव के साथ जा रहे कि अधिक्तर लोग रोते-बिलकते हुए अपनी याचना रखते हैं। अपनी ही तरह के एक मानव शरीर के सामने ऐसी लाचारी और बेबसी के इज़हार को आज की तर्कशीलता और वैज्ञानिकता कैसे देखती है? आश्चर्यजनक बात ये है कि याचना करने वालों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक, युवतियों की बड़ी संख्या है। क्या इस अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग में 'Spiritual disaster/Emptiness' इस हद तक बढ़ गया है कि लोग आध्यात्मिक संरक्षण और रूहानी सहारा के लिए किसी 'अलौकिक ज्ञान' और दिव्य प्रवचन (divine discourse) की असीम तलब से लबालब हैं?

दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर की अवधारणा रखने वाले धार्मिक लोग, इस दृश्य को कैसे देखते हैं,जहां इंसान को दिव्य स्रोत (Di-vine source) के तौर पर पेश किया जा रहा है? क्या ईश्वरीय धर्म और वास्तविक दिव्य दर्शन को दुनिया के सामने पेश करने का peak time अभी नहीं आया? ■■

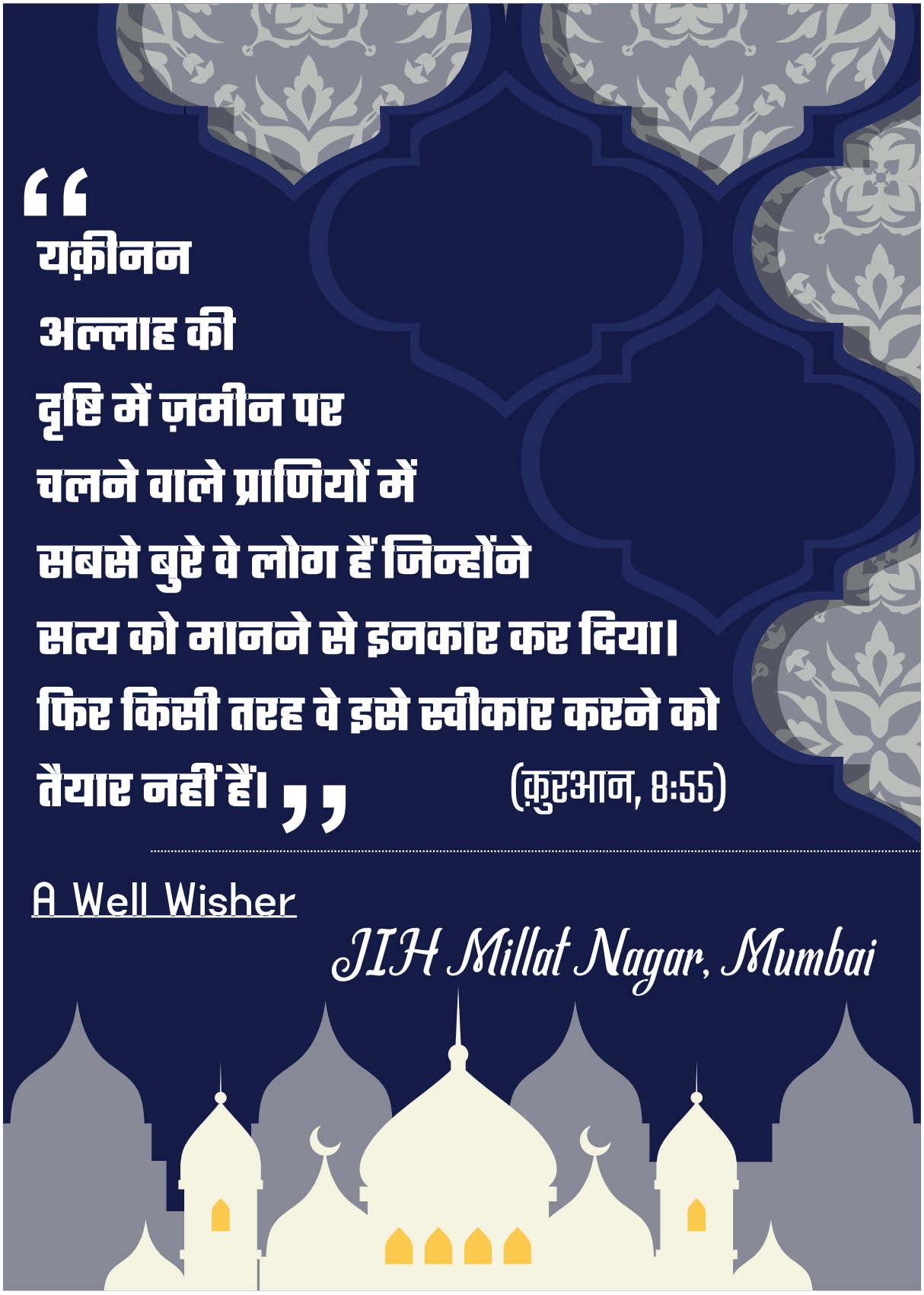
“
यक़ीनन
अल्लाह की
दृष्टि में ज़मीन पर
चलने वाले प्राणियों में
सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने
सत्य को मानने से इनकार कर दिया।
फिर किसी तरह वे इसे स्वीकार करने को
तैयार नहीं हैं।”
(क़ुरआन, 8:55)
A Well Wisher
JIH Millat Nagar, Mumbai

तुलनात्मक अध्ययन की कसौटी



चिंतन

संपादन प्रभाग

जब किसी चीज़ के दोषों और गुणों की जांच की जाती है, तो पहले यह देखा जाता है कि वह अपने-आप में कैसी है। फिर यह देखा जाता है कि अन्य चीज़ों के बीच उसका स्वरूप क्या है। जब वह उन दोनों आधारों पर बेहतर साबित हो जाए तभी उसे स्वीकृति का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के सिद्धांत पर भी यही बात लागू होनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि क्या उसकी शिक्षाएं मानव स्वभाव के अनुकूल हैं या नहीं?

धर्मों की तुलना करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। आदमी जिस आस्था और मत पर विश्वास रखता है, उसके विरुद्ध आस्था और मतों के साथ बहुत कम न्याय कर सकता है। यह कमज़ोरी मानव स्वभाव में बहुत आम है। विशेष रूप से धार्मिक समूहों में इसने पूर्वाग्रह और संकीर्णता का निकृष्टतम रूप धारण कर लिया है। जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं, तो वे हमेशा उनके कमज़ोर पक्ष की तलाश करते हैं और उज्ज्वल पक्ष को देखने की कोशिश नहीं करते हैं या अगर वे उसे देखते भी हैं, तो वे जान-बूझकर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं।

धर्मों की तुलना करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। आदमी जिस आस्था और मत पर विश्वास रखता है, उसके विरुद्ध आस्था और मतों के साथ बहुत कम न्याय कर सकता है। यह कमज़ोरी मानव स्वभाव में बहुत आम है।

धार्मिक आलोचना से, उनका उद्देश्य वास्तविक सत्य की तलाश करना नहीं होता, बल्कि केवल उस राय को सही ठहराना होता है, जिसे वे शोध से पहले अपना चुके हैं। इस विधि से धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की सभी उपयोगिताएं समाप्त हो जाती हैं और स्वयं उस धर्म को भी कोई लाभ नहीं होता, जिसके समर्थन में यह भ्रामक पद्धति अपनाई जाती है।

अगर तुलना का उद्देश्य वास्तव में सत्य का शोध ही है, तो निश्चित रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति का यह तरीक़ा उचित नहीं है कि व्यक्ति पहले से ही अन्य धर्मों के बारे में शत्रुतापूर्ण राय बना ले और उनका अध्ययन केवल इस इरादे

से करे कि उनके गुणों पर पर्दा डालना है और उनके दोषों को खोजकर उनके आधार पर अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करनी है। इस प्रकार की बेईमानी और धोखेबाज़ी से किसी धर्म की श्रेष्ठता की पुष्टि वास्तव में उसकी श्रेष्ठता नहीं होगी।

ऐसी सफलता किसी भी धर्म के लिए गौरव का कारण भी नहीं हो सकती है और न ही ऐसे धर्म का सत्य और धार्मिकता की दृष्टि में कोई मूल्य होगा। इस प्रकार का धोखा खाकर अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की सच्चाई पर विश्वास कर लेता है, तो यह विश्वास भरोसा योग्य नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव ही ग़लत होगी।

इन त्रुटियों से बचकर धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा को किसी उचित निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि पहले तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ नियम निर्धारित कर लिए जाएं और उनका सख़्ती से पालन किया जाए। जानकारों की राय में वे सिद्धांत ये होने चाहिए-

(1) एक धर्म की शिक्षाओं को सही साबित करने के लिए, दूसरे धर्मों की शिक्षाओं को पूरी तरह से ग़लत साबित करना आवश्यक नहीं है। एक धर्म में सत्य के अस्तित्व का अर्थ यह कदापि नहीं है कि दूसरे धर्म में उसका अस्तित्व नहीं है। सत्य एक सार्वभौमिक वास्तविकता है जिसके सदस्य, चाहे वे कहीं भी हों, उसी एक संपूर्णता के सदस्य बने रहते हैं। स्थिति और स्थान बदलने से उनकी वास्तविकता नहीं बदलती।

जो सत्य हमारे धर्म में पाया जाता है, उसी का दूसरे धर्म में पाया जाना, दोनों धर्मों में से किसी के भी दोष का प्रमाण नहीं है, कि उस पर पर्दा डालने का पर्यास किया जाए, बल्कि वास्तव में यह इसका प्रमाण है कि दोनों एक ही स्रोत से आए हैं। इसलिए सत्य जितना भी कहीं विद्यमान है, उसकी अपेक्षा है कि उसका सम्मान किया जाए, खींच-तान कर उसे मूल्यहीन सिद्ध करने में ज़ोर न लगाया जाए।

(2) जो व्यक्ति यह दावा करता है कि सत्य उसके धर्म के सिवा कहीं और मौजूद नहीं है, वह केवल अन्य धर्मों ही के साथ नहीं, स्वयं सत्य के साथ भी अन्याय करता है। सच तो यह है कि सत्य का प्रकाश न्युनाधिक हर

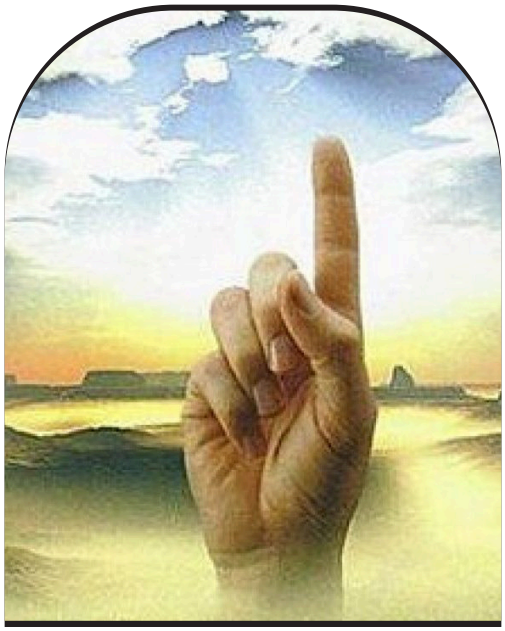

जगह मौजूद है। हालांकि, शोधकर्ता जब एक धर्म को दूसरे धर्मों पर वरीयता देते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी नज़र में वह धर्म वास्तविकता की अभिव्यक्ति होता है।

इसलिए धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करने वालों को भी पहले से यह निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि उसके पसंदीदा धर्म को छोड़कर सभी धर्म सत्य के प्रकाश से ख़ाली हैं, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि उसके सामने सत्य और असत्य दोनों मिले-जुले आएंगे और उनका काम यह होगा कि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में देखे और एक को दूसरे के साथ गडमड न होने दे।

(3) धार्मिक शोध में इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी धर्म के द्वेशपूर्ण विरोधियों और धर्म के भावुक अनुयायियों दोनों के लेखन का अध्ययन करने से बचा जाए। प्रारंभिक शोध में ऐसे लोगों के लेखन का अध्ययन करके एक पाठक कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इसके तहत धर्म के अस्ली चेहरे को देखने से पहले ही उसकी आंखों पर एक विशेष रंग की ऐनक चढ़ जाती है, जिससे वह उस धर्म को उसके अस्ली रंग में नहीं देख सकता।

अगर इस जांच को किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचाना है, तो यह आवश्यक है कि किसी धर्म को उस रूप में न देखा जाए, कि दूसरे उसे किस रूप में देखते हैं, बल्कि उस रूप में देखा जाए, जिसमें वह स्वयं को प्रकट करता है। विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपने धर्म के समर्थन की भावना से ख़ाली होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में देखा जाए।

इसके लिए यथासम्भव प्रत्येक धर्म के मौलिक स्रोतों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें पढ़कर अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि वह धर्म कहां तक सही है और कहां तक ग़लत है। फिर जब मनुष्य अपना एक मत स्थापित कर ले तो दूसरों के मतों का अध्ययन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तब वह सही और ग़लत में आसानी से भेद कर सकेगा। ■■

विभाजनकारी राजनीति का मुक़ाबला



मानव समाज की विभिन्न जटिलताओं में, जीवंत और गतिशील समुदायों का निर्माण करने के लिए विविधता, संस्कृति और पहचान के धागे आपस में जुड़े हुए हैं। इस विविधता के बीच एकता और सद्भाव की खोज एक ऐसा लक्ष्य है जो सीमाओं, संस्कृतियों और विश्वासों से परे है। हालांकि, विभाजनकारी राजनीति के उदय ने इस आदर्श स्थिति के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे समाज को एक साथ रखने वाले ताने-बाने के नष्ट होने का ख़तरा पैदा हो गया है। इससे देश के सामाजिक ताने-बाने, राजनीतिक विमर्श और एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विभाजनकारी राजनीति मतभेदों का फ़ायदा उठाने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कलह को बढ़ावा देने पर पनपती है। यह दृष्टिकोण संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ समुदायों को धर्म, जातीयता, क्षेत्र और अन्य पहचान के आधार पर

सौंदर्य बोध



डॉ. एम. इक़बाल सिद्दीक़ी

विभाजित करने का प्रयास करती है। इसके दुष्परिणाम अक्सर स्पष्ट होते हैं, सामाजिक बंधन नष्ट हो जाते हैं, टकराव शुरू हो जाते हैं और एकता से मिलने वाली सामूहिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप तनाव, संघर्ष और मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है। उदाहरण के लिए, भारत ने आज़ादी के बाद से कई सांप्रदायिक दंगों को देखा है, मुसलमानों को अक्सर ऐसे संघर्षों का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है।

विभाजनकारी राजनीति के उदय ने दुनिया भर के समाजों पर एक छाया डाली है, जिससे एकता और सहिष्णुता की दिशा में हुई प्रगति कमज़ोर हो गई है। जो समुदाय कभी साझा मूल्यों और इतिहास से बंधे थे, वे ख़ुद को विभाजित पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सामाजिक अशांति, हिंसा और दुश्मनी पैदा होती है। विभाजनकारी राजनीति के गंभीर परिणामों को पहचानना और इसके प्रभावों का मुक़ाबला करने के

लिए अथक प्रयास करना ज़रूरी है।

ध्रुवीकरण में मीडिया की भूमिका: मीडिया का एक वर्ग ध्रुवीकरण को क़ायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सनसनीख़ेज़, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और विभाजनकारी आख्यानों का विस्तार 'इको चैंबर प्रभाव' में योगदान कर सकता है, जहां व्यक्तियों को केवल उन दृष्टिकोणों से अवगत कराया जाता है जो उनकी मौजूदा मान्यताओं के साथ संरेखित होते हैं। यह खुली चर्चा को रोककर और एक ऐसा वातावरण बनाकर ध्रुवीकरण को मज़बूत करता है जहां विभिन्न दृष्टिकोण हाशिए पर हैं।

विभाजनकारी राजनीति के उदय ने एकता और सहिष्णुता की दिशा में हुई प्रगति कमज़ोर किया है। जो समुदाय कभी साझा मूल्यों और इतिहास से बंधे थे, वे ख़ुद को विभाजित पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सामाजिक अशांति, हिंसा और दुश्मनी पैदा होती है। विभाजनकारी राजनीति के गंभीर परिणामों को पहचानना और इसके प्रभावों का मुक़ाबला करने के लिए अथक प्रयास करना ज़रूरी है।



सोशल मीडिया का प्रभाव : डिजिटल युग में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं जो जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अक्सर ये ऐसी सामग्री तैयार करते हैं जो उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को पूरा करती है, अनजाने में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को मज़बूत करती है। यह फिर से इको चैंबर के निर्माण की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति समान विचारधारा वाले विचारों से घिरे होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से कटे होते हैं।

धर्म, जाति और क्षेत्रीयता : राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने और चुनावी जीत हासिल करने के लिए अक्सर ध्रुवीकरण संबंधी बयानबाज़ी का सहारा लेते हैं। विभाजनकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और 'हम बनाम वे' की मानसिकता को बढ़ावा देकर, पार्टियां अपना समर्थन आधार मज़बूत करना चाहती हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण से अल्पकालिक सफलता मिल सकती है, लेकिन इसका राष्ट्रीय एकता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

सांप्रदायिक हिंसा : भारत के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा एक सतत मुद्दा रही है, जो अक्सर अपनी शक्ति को मज़बूत करने की कोशिश करने वाले कुछ नेताओं के राजनीतिक हितों के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी घटनाएं अविश्वास को गहराती हैं और रूढ़िवादिता को मज़बूत करती हैं, तनाव बढ़ाती हैं और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती हैं। ध्रुवीकरण के खेल में अल्पसंख्यक समुदाय मोहरा बन सकते हैं।

आगे का रास्ता

एकता और सद्भाव एक स्थिर और समृद्ध समाज की आधारशिला है। विविध मान्यताओं, परंपराओं और पृष्ठभूमि वाले विश्व में, इन मूल्यों को अपनाना और भी आवश्यक हो जाता है। एकता समाजों को सामूहिक रूप से चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है, जबकि सद्भाव एक ऐसे वातावरण का पोषण करता है जहां विभिन्न दृष्टिकोण आपसी सम्मान की भावना के साथ सह-अस्तित्व में रह

सकते हैं।

संवाद : विभाजनकारी राजनीति से निपटने के लिए विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच आपसी संवाद और समझ को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण क़दम है। खुली और गंभीर बहस ग़लत सूचना और रूढ़िवादिता से पैदा हुई दूरियों को पाट सकती है। हम उस विविधता की सराहना कर सकते हैं जो समाज को समृद्ध बनाती है। विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों के बीच अंतरधार्मिक बातचीत में शामिल होने से एक-दूसरे के आध्यात्मिक विश्वासों की गहरी समझ को बढ़ावा मिल सकता है।

शिक्षा : विभाजनकारी राजनीति से लड़ने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहिष्णुता, सम्मान और आलोचनात्मक सोच के मूल्यों को स्थापित करके शिक्षा व्यक्तियों को ग़लत सूचनाओं को समझने और विभाजनकारी आख्यानों से ऊपर उठने की क्षमता से लैस करती है। हर स्तर पर छात्रों को विभिन्न आस्थाओं और उनके मूल मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे के प्राकृतिक अस्तित्व का एहसास कर सकें।

एकता और करुणा के इस्लामी मूल्य : इस्लाम शांति, सहिष्णुता और करुणा पर ज़ोर देता है, साथ ही एकता को बढ़ावा देने के लिए एक समृद्ध रूप-रेखा प्रदान करता है। यह विश्वासियों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समावेशिता और सभी के लिए सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। साझा मूल्यों पर यह ज़ोर विभाजनकारी राजनीति के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में कार्य करता है। इस्लामी शिक्षाएं सामाजिक न्याय, समानता और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व को रेखांकित करती हैं।

विभाजनकारी राजनीति समुदायों को धर्म, जातीयता, क्षेत्र और अन्य पहचान के आधार पर विभाजित करने का प्रयास करती है। इसके दुष्परिणाम अक्सर स्पष्ट होते हैं, सामाजिक बंधन नष्ट हो जाते हैं, टकराव शुरू हो जाते हैं और एकता से मिलने वाली सामूहिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप तनाव, संघर्ष और मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है। उदाहरण के लिए, भारत ने आज़ादी के बाद से कई सांप्रदायिक दंगों को देखा है, मुसलमानों को अक्सर ऐसे संघर्षों का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है।

"ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियां फैला दीं। ईश्वर का डर रखो, जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे के सामने अपनी मांगें रखते हो। और नाते-रिश्तेदारों का भी तुम्हें ख़याल रखना है। निश्चय ही ईश्वर तुम्हारी निगरानी कर रहा है।" (क़ुरआन, 4:1)

इस्लाम धर्म के संदर्भ में बल के प्रयोग की निंदा करता है। यह अंततः लोगों का अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म चुनें।

"धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं। सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई बढ़े हुए सरकश को ठुकरा दे और ईश्वर पर ईमान लाए, उसने ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। ईश्वर सब कुछ सुनने-जानने वाला है।" (क़ुरआन, 2:256)

वर्ष 2 हिजरी में इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल।) ने सिनाई भूमि के ईसाइयों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए जो हज़रत अली (रज़ि) द्वारा लिखी गई थी। उस संधि के एक भाग में लिखा है-"मैं (पैग़म्बर मुहम्मद) वादा करता हूं कि मैं उनके पुजारियों और भिक्षुओं को नहीं बदलूंगा और न ही उन्हें उनके पूजा स्थलों से निष्कासित करूंगा। मैं उनके तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा से नहीं रोकता, न ही मैं उनके चर्चों को नष्ट करता हूं। मैं किसी चर्च को मस्जिद

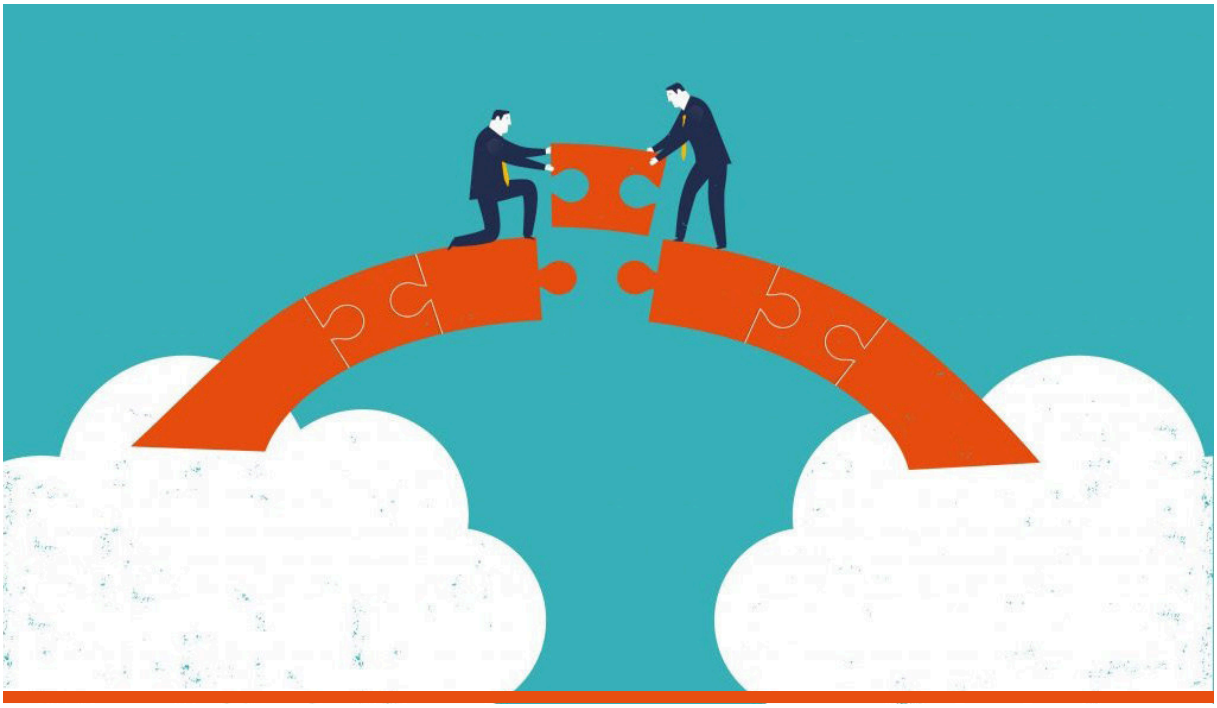

में नहीं बदलता और जो भी मुसलमान ऐसा करता है वह ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करता है।।।।।मुसलमानों को उन पर किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें उनके प्रति दयालु होना चाहिए और उन सभी का सम्मान करना चाहिए।।।यदि उनके चर्चों को किसी मरम्मत की आवश्यकता है, तो मुसलमानों को उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए और उन्हें ईसाइयों को अपने अनुष्ठानों का अभ्यास करने की अनुमति देनी चाहिए।।।।"

एकता और सद्भाव के लिए व्यक्तियों, समुदायों और नेताओं के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज के पोषण का साझा लक्ष्य संयुक्त प्रयासों की मांग करता है। समान मूल्यों को अपनाकर और साथ काम करके हम विभाजनकारी राजनीति से उत्पन्न चुनौतियों पर क़ाबू पा सकते हैं और एक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

हमें हमारी साझा मानवता और विविधता को अपनाने से मिलने वाली ताक़त को पहचानना आवश्यक है। खुले संवाद एवं शिक्षा को बढ़ावा देकर और आस्था के मूल्यों से प्रेरणा लेकर हम एक ऐसे समाज के लिए प्रयास कर सकते हैं जहां एकता क़ायम रहे। आज की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम सब मिलकर एकता और आपसी समझ का आह्वान करें। आइए हम ध्रुवीकरण की बयानबाज़ियों से ऊपर उठें और सहयोग, सम्मान एवं सह-अस्तित्व वाले भविष्य के लिए मिलकर काम करें। ■■

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें !

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

धार्मिक आयोजन या बहुसंख्यकवाद का प्रदर्शन?



अयोध्या में श्रीराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामराज्य की स्थापना को अपना और अपनी पार्टी का राजनीतिक लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतकों के लिए रामराज्य न्याय समृद्धि और शांति का संगम है, लेकिन भारत जैसे बहुसांस्कृतिक गणराज्य में आज राम की तरह ही रामराज्य को लेकर भी बहुत से सवाल मौजूद हैं। राम मन्दिर और रामराज्य के चारों ओर जिस तरह का वातावरण निर्मित कर उसे एक ख़ास राजनीतिक दल और ख़ास राजनीतिक नेतृत्व में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे सवाल पैदा होता है कि किसके राम व किस तरह का रामराज्य? यह रामराज्य किसका होगा? उसके दायरे में कौन आएगा और कौन बाहर होगा?

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस रामराज्य में सभी धार्मिक समूहों के लिए समभाव लागू होगा या फिर यह बहुसंख्यकवाद के आने का प्रतीक है? सवाल यह भी है कि निष्पक्षता और न्याय की स्थिति उन लोगों के लिए क्या होगी जो लोग 'राम भक्त' नहीं हैं? उक्त सवालों का उत्तर तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस चुनावी वातावरण में ये सवाल परिक्रमारत हैं।

भारत में रामराज्य की बहुत-सी कल्पनाएं की गयी हैं। रामराज्य को एक न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था के पर्याय के रूप में जाना जाता है। सत्य, न्याय और सुशासन को इसकी प्रमुख विशेषता बताई जाती है। प्रधानमंत्री की मानें तो अब भारत में रामराज्य की शुरुआत हो चुकी है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य 'श्रीरामचरितमानस' में जिस रामराज्य का उल्लेख किया है उसकी बात कुछ अलग है। रामराज्य का उल्लेख करते हुए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं-

दैहिक दैविक भौतिक तापा।

राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती।
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।

उपरोक्त चौपाई के अनुसार, रामराज्य में सब लोग बिना किसी भय के अपने-अपने धर्म का पालन कर रहे थे और सभी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्त थे। रामराज्य शांति, समृद्धि और न्याय का संगम था जहां कोई दुखी-दीन नहीं था और न किसी को किसी तरह की कोई पीड़ा थी। न किसी की अकाल मृत्यु होती थी। सभी स्वस्थ और सुंदर शरीर वाले थे। कोई भी अशिक्षित और गुणहीन नहीं था। समाज में रामराज्य की यह स्मृति कथाओं, मिथकों और साहित्य में रच-बसकर आज भी लोगों के सामने उपस्थित है, लेकिन रामराज्य की वर्तमान संकल्पना को लेकर भारतीय जनमानस के एक बड़े हिस्से के मन में बहुत से सवाल और शंकाएं विद्यमान हैं।

वर्ष 1990 के दशक में राम के नाम पर धर्म और राजनीति के आक्रामक मेल की शुरुआत हुई। अयोध्या में गत 22 जनवरी को आयोजित 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में उसी धर्म और राजनीति के आक्रामक मेल की झलक देखी गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने भाषण में इस तथ्य का उल्लेख किया कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता न्यायिक निर्णय से निकला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस फ़ैसले ने अयोध्या की विवादित भूमि हिंदू याचिकाकर्ताओं को सौंपी थी, उसी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि 6 दिसम्बर, 1992 को कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद ढहाया जाना 'क़ानून का गंभीर उल्लंघन' था।

उल्लेखनीय है कि इस 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के लिए विपक्षी सियासी दलों को भेजे गए निमंत्रण को लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने ठुकरा दिया। उनका तर्क था कि यह धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भाजपा का वोट हथियाने वाला 'शक्ति प्रदर्शन' था। इस कथित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के केंद्र में प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को बैठा दिया गया।

प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को जिस तरह राजनीतिक स्वरूप दिया गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। यह निश्चित ही मर्यादा विहीनता है। अगर हम क़ानूनी मर्यादा की बात करें तो यह आयोजन उसका भी कई स्तर पर उल्लंघन करता है। बेशक सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंदिर निर्माण की अनुमति देता है, लेकिन वही आदेश राममंदिर ट्रस्ट के ग़ैर-राजनैतिक स्वरूप की व्यवस्था भी करता है। यह जग-ज़ाहिर है कि सरकार ने धर्म गुरुओं की बजाय भाजपा से जुड़ी विश्व हिंदू परिषद और सरकार से जुड़े अफ़सरों का ट्रस्ट बनाया। यह कोर्ट के आदेश की भावना का उल्लंघन है।

देश का क़ानून किसी भी धार्मिक आयोजन के चुनावी या राजनैतिक इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है, लेकिन 22 जनवरी का आयोजन उस क़ानूनी मर्यादा की भी धज्जियां उड़ा रहा है। 22 जनवरी का आयोजन एक

प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश को अच्छे से उलझाया गया है। इससे सत्तारूढ़ दल को कितना फ़ायदा होता है यह तो आने वाले लोक सभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे पर इतना तय है कि इसके बाद भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। संवैधानिक मजबूरियों के चलते संरचना और शब्दावली में भले कुछ भी न छेड़ा जाए पर दक्षिणपंथी राजनीति की भारी जीत यह ज़रूर तय करेगी कि राजनीति का स्वरूप भले न बदले पर उसका चरित्र अवश्य बदल जाएगा।



शक्ति प्रदर्शन है और शक्ति हासिल करने के उपक्रम सिवा कुछ नहीं था। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में बहुसंख्यकवाद का प्रतीक था। ऐसे आयोजन का धर्म, आस्था और मर्यादा से कोई संबंध नहीं है। इस आयोजन के चारों ओर के वातावरण में चुनावी राजनीति की गंध फैली हुई है।

इस पूरे आयोजन में धर्म के नाम पर अपव्ययता और राज्य प्रायोजित धर्म के बाज़ारीकरण का जो रूप देखने को मिला स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसका कोई अन्य उदाहरण देखने को नहीं मिलता। धर्म आस्था का विषय है, न कि बाज़ारीकरण का, लेकिन आज धर्म का बाज़ारीकरण कर आस्था का शोषण किया जा रहा है। लोकतंत्र में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर नियंत्रण ज़रूरी है, अन्यथा धर्म के दुरुपयोग का सिलसिला क़ायम रहेगा।

बाज़ार की संस्कृति ने उपभोक्तावाद को चरम पर पहुंचा दिया है। बाज़ार मांग और पूर्ति के सिद्धांतों से चलता है। मुनाफ़ा कमाना इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। धर्म का जो बाज़ारीकरण हो रहा है उसे रोकने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए। समाज इसे रोक पाने में तब सफल होगा जब आस्था और अंधविश्वास के अंतर को समझ जाएगा।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म हर इंसान के निजी पसंद का मामला होता है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दुख इस बात का है ऐसा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश को अच्छे से उलझाया गया है। इससे सत्तारूढ़ दल को कितना फ़ायदा होता है यह तो आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे, पर इतना तय है कि इसके बाद भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। संवैधानिक मजबूरियों के चलते संरचना और शब्दावली में भले कुछ भी न छेड़ा जाए पर दक्षिणपंथी राजनीति की भारी जीत यह ज़रूर तय करेगी कि राजनीति का स्वरूप भले न बदले पर उसका चरित्र अवश्य बदल जाएगा।

धर्मनिरपेक्षता का क़िला पूरी तरह ढह जाएगा या फिर कुछ शेष रहेगा? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो धारा बह रही है वह बहुत कुछ बयान कर रही है। यदि राम समाधान हैं, विवाद नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में कहा, तो सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय ही एकमात्र मंत्र होना चाहिए। राम का भक्त होना असंवैधानिक नहीं है। असंवैधानिक है उन लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण होना, जो राम के भक्त नहीं हैं। बहरहाल, राजनीति के चौसर पर बहुसंख्यकवाद का पासा फेंका जा चुका है और दांव पर लगी है देश की धर्म निरपेक्षता। ■■

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH
True Success Both Worlds

अल फलाह

हक़ीक़ी कामयाबी दोनों जहानों में

अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

क्रान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।

धर्म और राजनीति का आक्रामक मेल

केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के ख़िलाफ़ वर्ष 1970 के दशक में विपक्षी एकता एक मुहिम बनी। कांग्रेस के एक घटक दल और कांग्रेस से निकले नेताओं के साथ कई समाजवादी दल और दक्षिणपंथी विचारधारा की जनसंघ ने विलय कर जनता पार्टी का गठन किया, जिसने कांग्रेस को 1977 के लोकसभा चुनाव में पराजित किया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में ग़ैर-कांग्रेसी सरकार बनी। तीन साल (1977-80) के अल्पकाल में चरण सिंह दूसरे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव (1980) में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सत्ता में पुनः वापसी हुई। जनता पार्टी की बड़ी हार के साथ विखराव दिखा। इस परिघटना में भारतीय जनसंघ (1951-1977) वैचारिकी के अनुयायियों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अवतार लिया।

इस पार्टी के माध्यम से अटल-आडवाणी ने हिन्दुत्व की राजनीति को स्थापित करने की राह बनाई। ठीक एक दशक बाद भाजपा एक बार फिर कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार (बोफोर्स) विरोधी मुहिम में जनता दल के साथ आई और वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया।



अभिमत



प्रो. नवल किशोर

विदित हो कि अपने घोषणापत्र में किए वादे के अनुसार जब वीपी सिंह सरकार ने अगस्त, 1990 में मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू कर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में 27 फ़ीसद आरक्षण का प्रावधान किया तो भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने उक्त संवैधानिक आरक्षण का विरोध किया। तत्पश्चात भाजपा ने हिन्दुत्व के एजेंडा पर उग्र राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया। मंडल (सामाजिक न्याय) बनाम कमंडल (हिन्दुत्व) पहली बार भारतीय राजनीति में आमने-सामने दिखा।

संपूर्ण उत्तर भारत में मंडल विरोधी आंदोलन हिंसक हो चला था। मुख्यधारा का मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग आरक्षण को मेरिट विरोधी और जातिवादी क़दम साबित करने में तुले थे। उसी दौरान आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा की घोषणा की। इस प्रकार भाजपा ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उपयोग और धार्मिक भावनाओं के प्रयोग को अपने राजनीतिक कार्यक्रम में केंद्रित किया। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। सभी धर्म के उपासक अपनी धार्मिक आस्था के साथ यहां जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धार्मिक मसलों में सरकार किसी प्रकार का

भारतीय परिप्रेक्ष्य में राम को मर्यादा का प्रतीक चिह्न माना गया है। इतिहास गवाह है कि मर्यादाओं को ताक पर रख कर भाजपा ने अपने उदय, विस्तार और चुनावी जय में श्रीराम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। 'सौगंध राम की खाते हैं, हम मन्दिर वहीं बनाएंगे' जैसे नारों से भाजपा ने अपनी राजनीतिक ज़मीन को तैयार किया है। धर्मनिरपेक्षता को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर इसे बहुसंख्यक विरोधी साबित करने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया। 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो' के नारे की गूंज के साथ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, लेकिन भाजपा की राजनीति राम मन्दिर के इर्द-गिर्द रही।



हस्तक्षेप नहीं करेगी।

भारतीय राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। भाजपा द्वारा धर्म के राजनीतिकरण का यह प्रयास भारत जैसे पंथनिरपेक्ष राज्य के लिए किसी भी दृष्टिकोण से न तो न्यायसंगत है और न ही नीतिसंगत। भारत जैसे विविधता संपन्न देश में भाजपा द्वारा धर्म का राजनीतिकरण किया जाना युक्तिमंत नहीं है।

भाजपा हिन्दुत्व को अपनी वैचारिकी उदय का आधारभूत कारण मानती है। 'गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, जय श्री राम' और 'सौगंध राम की खाते हैं, हम मन्दिर वहीं बनाएंगे' जैसे नारों से भाजपा ने अपनी राजनीतिक ज़मीन को तैयार किया है। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों की भाजपा के राजनीतिक विस्तार में सक्रिय भूमिका रहती है। धर्मनिरपेक्षता को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर इसे बहुसंख्यक विरोधी साबित करने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया। बाबरी मस्जिद का 37 साल पुराना ताला कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में खुलवाया, लेकिन वर्ष 1989 में भाजपा ने राम मन्दिर को अपने घोषणापत्र में शामिल किया। राम मन्दिर निर्माण के लिए देश भर से कारसेवा के लिए आह्वान किया। 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो' के नारे की गूंज के साथ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, लेकिन भाजपा की राजनीति राम मन्दिर के इर्द-गिर्द रही।

यही कारण है कि भाजपा ने वर्ष 1990 के पश्चात हर चुनाव में राम मंदिर

को अपने राजनीतिक और चुनावी अभियान का अहम हिस्सा बनाए रखा। धार्मिक गोलबंदी से भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को चुनौती भी देती रही। भाजपा की पहली सरकार तेरह दिन (1996) और दूसरी सरकार तेरह महीने (1998) चली। भाजपा ने लोकसभा चुनाव वर्ष 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली पूर्णकालिक सरकार बनाने में सफल हुई। गठबंधन राजनीति के दबाव में इस दौरान राम मंदिर, धारा 370 जैसे विवादित मुद्दे पर भाजपा नरम दिखी।

लोकसभा चुनाव-2014 के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की पूर्णकालिक सरकार दूसरी दफ़ा बनी, लेकिन इस बार भाजपा की अपनी लोकसभा सीटों की संख्या वहुमत के आसपास थी। इसलिए भाजपा अपने हिन्दुत्ववादी राजनीतिक एजेंडे पर मुखर और आक्रामक हुई। यही कारण है कि धारा-370, ट्रिपल तलाक़ जैसे विवादित मुद्दों पर त्वरित क़ानून बनाया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक लामबंदी के औज़ार के तौर पर इस्तेमाल किया।

अयोध्या में आयोजित प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन पर विमर्श में धर्म और राजनीति का आक्रामक मेल दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के निर्देशानुसार, राम मन्दिर निर्माण के लिए सरकार की भूमिका सिर्फ़ ट्रस्ट बनाने तक सीमित थी, जबकि ट्रस्ट गठन और भूमि पूजन से मन्दिर में राम मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन और प्रयोजन में भाजपा के साथ आरएसएस, वीएचपी जैसे हिन्दुत्ववादी संगठनों की सक्रियता दिखी। कार्यक्रम के तिथि निर्धारण से लेकर निमंत्रण-वितरण जैसी सामान्य आयोजन प्रक्रिया को राजनीतिक वाद-विवाद में लाने की पुरज़ोर कोशिश की गई।

वैदिक सनातन धर्म को पुनर्जीवित करके व इसका प्रचार करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में चार मठ ज्योतिष मठ (उत्तराखंड), श्रृंगेरी शारदा मठ (कर्नाटक), गोवर्धन मठ (ओडीशा) और द्वारका (गुजरात) में स्थापित किए थे। वर्तमान में चारों मठ के शंकराचार्य इस प्रकार हैं-स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (ज्योतिष मठ), स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ (श्रृंगेरी शारदा पीठ), निश्चलानंद (गोवर्धन मठ) और स्वामी सदानंद सरस्वती (द्वारिकापीठ)। चारों शंकराचार्यों ने अयोध्या में संपन्न प्राण- प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लेने से इन्कार कर दिया। शंकराचार्यों के अनुसार अधूरा निर्मित मंदिर में राम मूर्ति का प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को शास्त्रसम्मत नहीं बनाता। उन्होंने आयोजन में राजनीतिक हस्तक्षेप को भी ठीक नहीं माना।

भारतीय राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। धर्म के राजनीतिकरण का यह प्रयास भारत जैसे पंथनिरपेक्ष राज्य के लिए किसी भी दृष्टिकोण से न तो न्यायसंगत है और न ही नीतिसंगत। भारत जैसे विविधता संपन्न देश में धर्म का राजनीतिकरण किया जाना युक्तिमंत नहीं है। बुद्ध ने कहा था हमें सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए और असत्य को असत्य के रूप में। ठीक उसी प्रकार राजनीति को राजनीति के प्रतिमान पर चलाया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में राम को मर्यादा का प्रतीक चिह्न माना गया है। इतिहास गवाह है कि मर्यादाओं को ताक पर रखकर भाजपा ने अपने उदय, विस्तार और चुनावी जय में श्रीराम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, जबकि भारतीय जनमानस में राम के प्रति श्रद्धाभाव के विभिन्न आयाम प्रचलित हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण की लगभग तीन सौ कथाएं हैं, जिनमें वर्णन के अलग-अलग बिंदु हैं।

महात्मा गांधी ने रामराज्य में राम को शांति, सौहार्द और करुणा का प्रतीक माना है, जबकि राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक दर्शन में पुरुषोत्तम राम को एक आदर्श और मर्यादित पात्र के रूप में पेश किया है। राम-रहीम एकलवाद चित्रण के माध्यम से मिश्रित धार्मिक परंपरा के संकेत भी दिखाई देते हैं।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दू-मुस्लिम भेद की राजनीति ने भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित किया जिसने आज़ादी की हर्सोल्लास को विभाजन से लहूलुहान कर दिया था। देश में सरकार बदलने की जगह दो देशों के वीच जनसंख्याओं की अदला-बदली ने भयावह और ख़ौफनाक दृश्य प्रस्तुत किया। इतिहास के पन्नों पर दर्ज पीड़ा को पढ़ना आज भी आसान नहीं। विश्व इतिहास गवाह है कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल में ऐसे ही त्रासदपूर्ण मंज़िल हासिल किए जा सकते हैं। ■■

(साभार : राष्ट्रीय सहारा)

मर्यादा में रहना होगा

समाधान



संपादन प्रभाग

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के चलते भारतीय समाज जितने लंबे समय तक और जितनी बुरी तरह से विभक्त हुआ, वह अपने आप में किसी विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इस क्षण को जय या पराजय के तौर पर न देखा जाए, पर क्या सचमुच ऐसा हो पाया?

दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह के जुलूस देश के विभिन्न नगरों, गांवों में निकले, उनमें भक्ति से अधिक विजयी भाव दिखा। हमारी ज़्यादातर बसावटें मिश्रित हैं और इनमें रहने वालों में कुछ को विजयी जुलूस निकालते और कुछ की खिड़कियों के पीछे खड़े पस्त भाव से उन्हें निहारने की तस्वीरें किसी संवेदनशील देशप्रेमी को झकझोरेगी ही। पूरे देश में 22 जनवरी को लेकर प्रतिक्रियाएं हार-जीत से जुड़ी दिखीं। पूरे उत्सव में आक्रामक विजयी स्वर ही प्रभावशाली था?

सदियों के सहचर्य में हिंदुओं और मुसलमानों ने कई अर्थों में एक अद्भुत समाज बनाया। रचनात्मकता के हर क्षेत्र- साहित्य, संगीत, चित्रकारी, स्थापत्य, यहां तक कि पाकशास्त्र में भी दोनों ने मिलकर अद्भुत उपलब्धियां हासिल कीं, मगर यह कहना भी सरलीकरण ही होगा कि दोनों मिल-जुलकर सिर्फ़ निर्माण करते रहे, सही बात यह है कि



दोनों आपस में लड़ते भी रहे। इस लेन-देन में हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक तीसरे कोण के रूप में अंग्रेज़ जुड़े और यह स्वाभाविक ही था कि उनका हित देश के इन दोनों बड़े समुदायों के मध्य संघर्ष के बिंदुओं को उभारने में था। दोनों को आपस में लड़ाकर ही वे अपने शासन की अवधि बढ़ा सकते थे और वे यही करते भी रहे।

इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के अंतर्विरोधों ने दो क़ौमी नज़रिये को जन्म दिया था और इसी के फलस्वरूप वर्ष 1947 में देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, पर यह भी सच है कि आज़ादी की लड़ाई की अग्रणी पंक्ति में शरीक गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं की समझ बड़ी स्पष्ट थी कि भारत जैसे देश में धर्म पर आधारित राष्ट्र राज्य नहीं बन सकता।

किसी धर्मनिरपेक्ष समाज की बुनियादी शर्त ही यह होती है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सांप्रदायिकता की संकुचित सोच से बाहर निकलकर एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक समाज बनाने की दिशा में काम करें।

बाबरी मस्जिद के अलावा भी बहुत से मतभेद के बिंदु हैं और उनमें से कई में हिंसा भड़काने का सामर्थ्य है। हमें मिल-बैठकर फ़ैसला करना होगा कि क्या हम उन पर लड़ते रहेंगे या बीच का रास्ता तलाशते हुए देश को एक मज़बूत अर्थव्यवस्था बनाने की

बाबरी मस्जिद के अलावा भी बहुत से मतभेद के बिंदु हैं और उनमें से कई में हिंसा भड़काने का सामर्थ्य है। हमें मिल-बैठकर फ़ैसला करना होगा कि क्या हम उन पर लड़ते रहेंगे या बीच का रास्ता तलाशते हुए देश को एक मज़बूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेंगे? हमारे पास संसद में पारित एक क़ानून भी मौजूद है, जिसमें राम जन्मभूमि के अलावा आज़ादी के समय के किसी भी धर्मस्थल के साथ छेड़छाड़ न करने की व्यवस्था है। इसलिए ज़रूरी है कि मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की कोई राह खोजी जाए। इसी में सबका हित है।



दिशा में काम करेंगे? हमारे पास संसद में पारित एक क़ानून भी मौजूद है, जिसमें राम जन्मभूमि के अलावा आज़ादी के समय के किसी भी धर्म स्थल के साथ छेड़छाड़ न करने की व्यवस्था है। इसलिए ज़रूरी है कि मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की कोई राह खोजी जाए। इसी में सबका हित है।

हमें हर समुदाय के तर्क, तथ्य और हालात को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। कुछ अच्छी बुनियादी बातों को दिल से लगाए रखने की ज़रूरत है। अब 6 दिसम्बर कभी न लौटे, अदालत और परस्पर संवाद से हल निकले, किसी के हाथों में नफ़रत की तलवार न आए। खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ते हमारे देश की राह में उपद्रव का एक भी अवरोधक न उभरने पाए। हमारे देश के अधिकतर लोग शांति, सामाजिक सौहार्द और समानता चाहते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग सदियों से मिल-जुलकर रहते आए हैं। यही हमारी अस्ल शक्ति, हमारा सम्मान और हमारी पहचान है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रदायिकता हमारे देश को उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सम्मान से वंचित करने के लिए तत्पर है। इसलिए सांप्रदायिकता इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता और इसके सबसे विशेष चरित्र को समाप्त करने पर उतारू है।

कभी-कभी सांप्रदायिक दंगों का हो जाना या राजनीतिक हितों के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काए जाने की घटनाएं तो हमारे देश में होती रही हैं, लेकिन इस समय स्थिति बेहद गंभीर इसलिए है कि मामला अब सामाजिक विभाजन का रूप ले रहा है। स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि हमारा देश सामाजिक विखंडन की ओर बढ़ता जा रहा है।

जब समाज विभाजित हो जाता है और एक ही देश में रहने वाले लोग अलग-अलग ख़ेमों में बंट जाते हैं तो कैसी अराजकता पैदा होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके उदाहरण हम अपने आस-पास के देशों में देख सकते हैं। जो लोग हमारे देश को भी इस प्रकार का नर्क बना देना चाहते हैं वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सांप्रदायिक सोच इस देश के लिए बेहद घातक और इस देश को सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुंचाने वाली है।

इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि इस संबंध में जागरूकता लाई जाए। जागरूकता लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे धार्मिक एवं सामाजिक संगठन आगे आएं, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और हमारे धार्मिक नेता आगे आएं।

दुनिया का कोई धर्म नफ़रत का पैग़ाम नहीं देता। यह हमारे धार्मिक गुरुओं की ज़िम्मेदारी है कि वे आगे आएं और शांति और सद्भावना का संदेश देश भर में फैलाएं। सांप्रदायिकता कितनी हानिकारक है और इससे बचना कितना ज़रूरी है यह संदेश लोगों में आम करना बेहद ज़रूरी है। यह संदेश केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि गांव-गांव, गली-गली और घर-घर पहुंचाना ज़रूरी है।

समाज को संदेश देने के साथ-साथ इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि जो लोग समाज पर अपना प्रभाव रखते हैं, उनको संगठित किया जाए। इस समय सांप्रदायिकता का जो आकार है वह संस्थागत है, इसलिए इसका मुक़ाबला भी हमें संगठित तरीक़े से करना चाहिए। जो लोग समाज में सौहार्द चाहते हैं वे लोग एक मंच पर आएं, संगठित हों और मिल-जुलकर इस संदेश को आम करें।

समाज के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त इस समस्या का बड़ा गहरा संबंध हमारे धार्मिक नेताओं से है, ज़ाहिर है कि सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर फैलाई जाती है। धर्म का दुरुपयोग ही सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हमारे धार्मिक नेता यह तय कर लें कि हम इस देश में सांप्रदायिकता को फैलने नहीं देंगे, तो इस समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है।

इसके अलावा यह काम केवल नेतृत्व के स्तर पर न हो, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी हो। परस्पर संवादहीता (communication gap) से सांप्रदायिकता फैलती है। सांप्रदायिकता फैलने का सबसे प्रमुख कारण है संवादहीनता। सांप्रदायिक शक्तियों का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वे विभिन्न समुदायों के बीच संवादहीनता की स्थिति पैदा कर एक-दूसरे के बारे में ग़लतफ़हमियां और अफ़वाहें फैला देती हैं।

बहुत से सामाजिक अध्ययन मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि अगर विभिन्न समुदायों के बीच मेल-जोल और बातचीत का माहौल पैदा हो तो सांप्रदायिकता फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमारी अस्ल चुनौती यह है कि समाज में जो विभाजन पैदा किया जा रहा है हम उसका मुक़ाबला करें। समाज में हर स्तर पर मेल-जोल और बातचीत को बढ़ाया जाए। जगह-जगह ऐसे मंच हों जहां वो बैठकर आपसी समस्याओं पर बात कर सकें। अगर यह काम बड़े पैमाने पर देश भर में हो जाए तो इससे सांप्रदायिकता के ज़हर का मुक़ाबला करने में बड़ी आसानी होगी। ■■

हमें हर समुदाय के तर्क, तथ्य और हालात को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। कुछ अच्छी बुनियादी बातों को दिल से लगाए रखने की ज़रूरत है। अब 6 दिसम्बर कभी न लौटे, अदालत और परस्पर संवाद से हल निकले, किसी के हाथों में नफ़रत की तलवार न आए। खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ते हमारे देश की राह में उपद्रव का एक भी अवरोधक न उभरने पाए।



अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

कविता

एक बूंद

ज्यों निकल कर बादलों की गोद से
थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी,
सोचने फिर-फिर यही जी में लगी
हाय क्यों घर छोड़कर मैं यों कढ़ी।

मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में,
चू पड़ूंगी या कमल के फूल में।
बह गई उस काल एक ऐसी हवा
वो समन्दर ओर आई अनमनी,
एक सुन्दर सीप का मुंह था खुला
वो उसी में जा गिरी मोती बनी।

लोग यों ही हैं झिझकते सोचते
जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर,
किन्तु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें
बूंद लौं कुछ और ही देता है कर।

•
•
•

विकास के दावों के बरअक्स

मंथन



डॉ. प्रदीप कुमार

हाल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताने का प्रयास किया कि पांच सालों में सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। देश में ग़रीबी कम हुई है और अच्छी-ख़ासी संख्या में लोग ग़रीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अर्थव्यवस्था भी काफ़ी सुधरी है। ये बातें चुनावी रणनीति के हिसाब से ठीक हो सकती हैं, लेकिन जनता के हिसाब से क्या यह आकलन सही है? यह सही है कि आर्थिक विकास की दर छह से सात प्रतिशत की रही है, लेकिन बारीकी से देखें तो सवाल उठता है कि क्या आम आदमी की आमदनी भी उसी हिसाब से बढ़ी है? क्या देश में निवेश भी उस लेवल से बढ़ रहा है?

सही मायने में आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई का सामना करें। हमारे देश के लिए यह शर्म की बात है कि प्रगति के तमाम दावों के बावजूद एक बड़ी आबादी ग़रीबी में दयनीय जीवन जीती है। देशभर में बेरोज़गारी की दर चिंताजनक बनी हुई है। बेरोज़गारी का बने रहना एक बड़े आर्थिक ख़तरे का संकेत है। प्रोटीन के लिए दाल और अन्य पोषक तत्वों के लिए सब्ज़ियां ग़रीबों का मुख्य भोजन होता है जिनके भाव लगातार आसमानी रहे हैं। कुपोषण के भयानक आंकड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। देश में यदि पिज़्ज़ा खाने वाले बढ़े हैं तो उसे देश की समग्र ख़ुशहाली मानना भारी भूल होगी। जिस देश में 45-50 करोड़ काम की आयु के लोग कम मज़दूरी वाले कृषि क्षेत्र में हों, वहां सब कुछ हरा दर्शाना दृष्टि-भ्रम ही कहा जाएगा।

यदि दीर्घकालीन और सतत विकास चाएएि तो इसके लिए सरकार को समस्याओं को समझना पड़ेगा। यह कहना काफी नहीं कि सब कुछ ठीक है और लोग ग़रीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। 25 करोड़ लोग अगर ग़रीबी रेखा से बाहर निकले हैं और इसके बावजूद सरकार अस्सी करोड़ जनता को मुफ़्त अनाज दे रही है तो कहीं न कहीं इसमें एक विरोधाभास है।

इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भारत को चौथी सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते देखा जा रहा है। जबकि यहां लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या ग़रीबी रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन करती है, 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अशिक्षित

आर्थिक ख़ुशहाली का प्रशस्तिगायन करने वालों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आम आदमी और देश का वंचित वर्ग क्या इस खुशहाली का सहभोक्ता है? जब यह देश वर्ष 1950 में लोकतांत्रिक घोषित हुआ था, तो देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद स्थापित करने की घोषणा की गई थी। क्या कारण है कि यह लक्ष्य आज भी ध्रुवतारे की तरह कहीं दूर ठिठका हुआ लगता है। देश में यदि पिज़्ज़ा खाने वाले बढ़े हैं तो उसे देश की समग्र खुशहाली मानना भारी भूल होगी। जिस देश में 45-50 करोड़ काम की आयु के लोग कम मज़दूरी वाले कृषि क्षेत्र में हों, वहां सब कुछ हरा दर्शाना दृष्टि-भ्रम ही कहा जाएगा।

है, देश के कई ग्रामीण और क़स्बाई क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है। ऐसे में विकास क्यों और विकास किसके लिए और विकास किस दिशा में हो रहा है, जैसे पक्ष विचारणीय हैं। जो लोग विकास के माध्यम से धनाढ्य हो सके, उनके लिए विकास की प्रक्रिया समृद्धि की द्योतक बन जाती है, जबकि अन्य के लिए विकास फ़िलहाल एक भ्रम है।

चूंकि हम विकास को न्याय, समानता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों के साथ वास्तविक रूप से नहीं जोड़ पाए, इसलिए विकास एक वर्गीय अवधारणा बनकर रह गई। जबकि विकास का वास्तविक अर्थ संसाधनों का तार्किक विभाजन और उनका विस्तार है, ताकि संबंधित राष्ट्र की जनसंख्या सामाजिक अस्तित्व संबंधी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम हो सके। जीने का अधिकार प्राकृतिक और मानवाधिकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। अगर इस अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो यह लोकतंत्र की असफलता है।

आर्थिक ख़ुशहाली का प्रशस्तिगायन करने वालों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आम आदमी और देश का वंचित वर्ग क्या इस ख़ुशहाली का सहभोक्ता है? जब यह देश वर्ष 1950 में लोकतांत्रिक घोषित हुआ था, तो देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद स्थापित करने की घोषणा की गई थी। क्या कारण है कि यह लक्ष्य आज भी ध्रुवतारे की तरह कहीं दूर ठिठका हुआ लगता है। अरबपति खरबपति हो गए हैं और निर्धन और निर्धन हो जाने की राह पर चल दिए।



आंकड़े बेशक इस बात का समर्थन करते हैं कि पिछले दस-बारह वर्षों में, दो-तीन साल को छोड़कर, विकास दर के लिहाज़ से भारत ने शानदार प्रगति की, लेकिन आम लोगों की हालत की कसौटी पर देखें तो यह कामयाबी उत्साहजनक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ़ से हर साल आने वाली मानव विकास रिपोर्ट बता देती है कि आम लोगों के रहन-सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मानकों पर हम दुनिया के सबसे पिछड़े व बदहाल मुल्कों के बीच खड़े हैं। ख़ुद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे सरकारी अध्ययन भी विकास के दावों और हक़ीक़त के बीच की गहरी खाई की ओर ही इशारा करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनिया में क़रीब 120 करोड़ लोग ग़रीबी से जूझ रहे हैं और इनमें एक तिहाई संख्या भारतीय लोगों की है।

एक तरफ़ हम कौशल विकास और ज्ञान आधारित समाज बनाने की बातें

चूंकि हम विकास को न्याय, समानता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों के साथ वास्तविक रूप से नहीं जोड़ पाए, इसलिए विकास एक वर्गीय अवधारणा बनकर रह गई। जबकि विकास का वास्तविक अर्थ संसाधनों का तार्किक विभाजन और उनका विस्तार है, ताकि संबंधित राष्ट्र की जनसंख्या सामाजिक अस्तित्व संबंधी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम हो सके।

करते रहते हैं और दूसरी तरफ़ देश के हर दूसरे बच्चे का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। चमकते नारों और विकास के बड़बोले दावों के बरक्स, वास्तव में भारत का यह कैसा भविष्य बन रहा है! विभिन्न रिपोर्टों के आकलन में थोड़ा-बहुत हेर-फेर हो सकता है, मगर सारी ही रिपोर्टें भारत में कुपोषण की व्यापकता ही बयान करती हैं। कहने को एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम और मिड-डे मील जैसी योजनाएं कुपोषण निवारण के लिए ही चलाई जाती हैं, पर वे निहायत अपर्याप्त आवंटन और लचर कार्यान्वयन की शिकार है।

लगभग सत्तर प्रतिशत किशोरियां अनीमिया यानी ख़ून की कमी की शिकार है। आगे चलकर जब वे मां बनती है तो इसका असर भ्रूण और शिशु पर भी पड़ता



है। कुपोषण का सबसे बड़ा पहलू ग़रीबी से संबंध रखता है।

सरकार का दावा है कि भारत में 25 करोड़ आबादी ग़रीबी रेखा से बाहर आई है। उनका यह दावा नीति आयोग के ग़रीबी के बहुआयामी संकेतक (एमपीआई) के परिचर्चा पत्र के हवाले से है। इसके मुताबिक़, पिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ आबादी को ग़रीबी से उबारा गया है। एसबीआई की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि ग़रीब-अमीर की खाई कम हुई है, 20 प्रतिशत छोटे उद्योग बड़े उद्योग बन गए हैं और आठ वर्षों में 36.3 प्रतिशत करदाता निम्न से उच्च आय वर्ग में आ गए हैं।

यानी देश में सब कुछ 'हरा' है, लेकिन इसी के बरअक्स सरकार ने संसद को बताया कि पिछले तीन वर्षों में एमएसएमई सेक्टर की 25 हज़ार यूनिट्स बंद हुईं, जिनमें लगभग आधी वर्ष 2023 में बंद हुईं। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन माह में शहरों में 12 लाख रोज़गार घटे और 25 लाख बेरोज़गार बढ़े। वैसे भी हर साल काम करने की आयु के 15 साल से ऊपर वाले 1.60 करोड़ नए लोग जुड़ जाते हैं।

अर्थव्यवस्था में एक तरीक़े से रोज़गार का संकट है। इसके समाधान के लिए बजट में एक अर्जेंसी दिखनी चाहिए थी, जो नहीं दिखी है। दूसरी ओर, महंगाई का दबाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है।

ऐसी स्थिति में सरकार को अपना निवेश इन सारी चीज़ों में बढ़ाना चाहिए था। यदि दीर्घकालीन और सतत विकास चाहिए तो इसके लिए सरकार को समस्याओं को समझना पड़ेगा। यह कहना काफ़ी नहीं कि सब कुछ ठीक है और लोग ग़रीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। 25 करोड़ लोग अगर ग़रीबी रेखा से बाहर निकले हैं और इसके बावजूद सरकार अस्सी करोड़ जनता को मुफ़्त अनाज दे रही है तो कहीं न कहीं इसमें एक विरोधाभास है। ■■



समाज हित में नहीं

शिक्षा का ये सच

भारत में 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों में एक बड़ा हिस्सा ऐसे छात्रों का है, जिनमें पढ़ने-लिखने की बुनियादी क्षमता का विकास नहीं हो सका है। इस आयु वर्ग के एक चौथाई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखी दूसरी कक्षा की पुस्तक भी धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते। 40 प्रतिशत से अधिक छात्र अंग्रेज़ी में लिखे वाक्य नहीं पढ़ सकते। हाल में ही जारी 'एन्वल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट' (एएसईआर) के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे अधिक चिंता चौदह से अठारह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के स्तर को लेकर जताई गई है।

इस आयु वर्ग के बत्तीस प्रतिशत से अधिक बच्चे किसी शैक्षणिक संस्था में पंजीकृत नहीं हैं। जो पंजीकृत हैं, उनमें से ज़्यादातर की सीखने और कौशल विकास की क्षमता काफ़ी कमज़ोर है। इस आयु वर्ग की लड़कियों के पंजीकरण में काफ़ी गिरावट नज़र आई

शिक्षा विमर्श



जितेंद्र गौतम

है। इस सर्वेक्षण में लगभग 35 हज़ार किशोरों को शामिल किया गया। सर्वे 26 राज्यों के लगभग 28 ज़िलों पर आधारित है। सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के संस्थानों के छात्र इसमें शामिल किए गए। सर्वे का मुख्य फ़ोकस ग्रामीण इलाक़ों के 14 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर थे।

एएसईआर के उक्त आंकड़ें शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस गिरावट का कारण क्या है? सर्वे रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ड्रॉपआउट्स यानी अधबीच पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या अब भी बहुत ज़्यादा है। इस गिरावट और स्कूल छोड़ने की बढ़ती दर के पीछे का कारण बहुआयामी हैं। आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक अपेक्षाएं और शिक्षा प्रणाली की अपर्याप्तताएं, ऐसे अनेक कारण हैं जो औपचारिक शिक्षा से किशोरों के मोहभंग में योगदान करते हैं।

हम इन निष्कर्षों को अलग-अलग घटनाओं या व्यक्तिगत अपर्याप्तताओं का परिणाम कहकर ख़ारिज नहीं कर

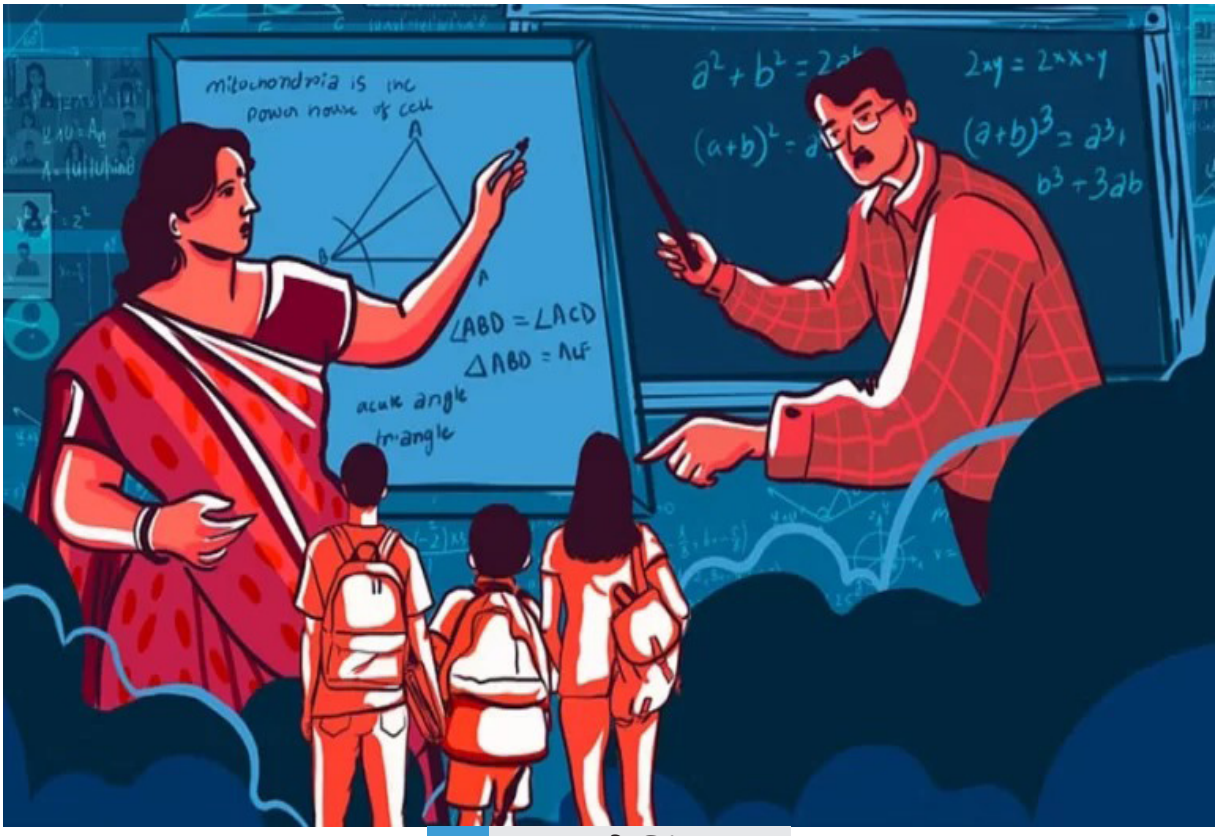

सकते। इसके बजाय हमें उन प्रणालीगत ख़ामियों को स्वीकार करना चाहिए जिनके कारण ऐसी स्थिति सामने आई है। शिक्षा में निवेश का मतलब केवल धन आवंटित करना भर नहीं है। शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम डिज़ाइन और शैक्षिक बुनियादी ढांचे के समग्र पुनर्मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। किसी भी देश का भविष्य उसके नौनिहालों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से तय होता है। जब देश एआई की तकनीकी क्रांति के युग में प्रवेश कर रहा हो तो हमें सारी ताक़त बच्चों की शिक्षा पर लगानी होगी।

शिक्षा का अधिकार क़ानून बना तो भरोसा जगा था कि न सिर्फ़ सभी बच्चों तक पढ़ाई-लिखाई की सुविधा का विकास होगा, बल्कि इसके स्तर में भी सुधार होगा। मगर पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में यह

“सबसे चिंताजनक स्थिति है कि बच्चों में बुनियादी पाठ तक पढ़ पाने की क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा। छात्रों के पंजीकरण, पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता, इन सभी स्तरों पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। सवाल यह है कि अगले कुछ सालों में जब ये छात्र मतदाता बनकर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, नौकरी के बाज़ार में खड़े होंगे, तब क्या होगा?”

तस्वीर कुछ निराशाजनक ही देखी जा रही है। प्राथमिक कक्षाओं के दाख़िलों में ज़रूर कुछ वृद्धि दर्ज हुई है, मगर चौदह साल से अधिक उम्र के बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर पर क़ाबू पाना कठिन बना हुआ है।

सबसे चिंताजनक स्थिति है कि बच्चों में बुनियादी पाठ तक पढ़ पाने की क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा। छात्रों के पंजीकरण, पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता, इन सभी स्तरों पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। सवाल यह है कि अगले कुछ सालों में जब ये छात्र मतदाता बनकर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, नौकरी के बाज़ार में खड़े होंगे, तब क्या होगा?

अधिकतर बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का बड़ा कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होना रहा है। उसके बाद स्कूलों की स्थिति ठीक

न होना, उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव आदि अनेक कारण हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड के बाद बहुत सारे निजी स्कूलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने और लोगों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने की वजह से बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में वापस लौटे हैं। मगर वहां उन्हें फिर उन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जो दस-बारह साल पहले करना पड़ता था। यानी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इस तरह युवाओं में कौशल विकास का संकल्प एक बड़ी चुनौती लगता है।

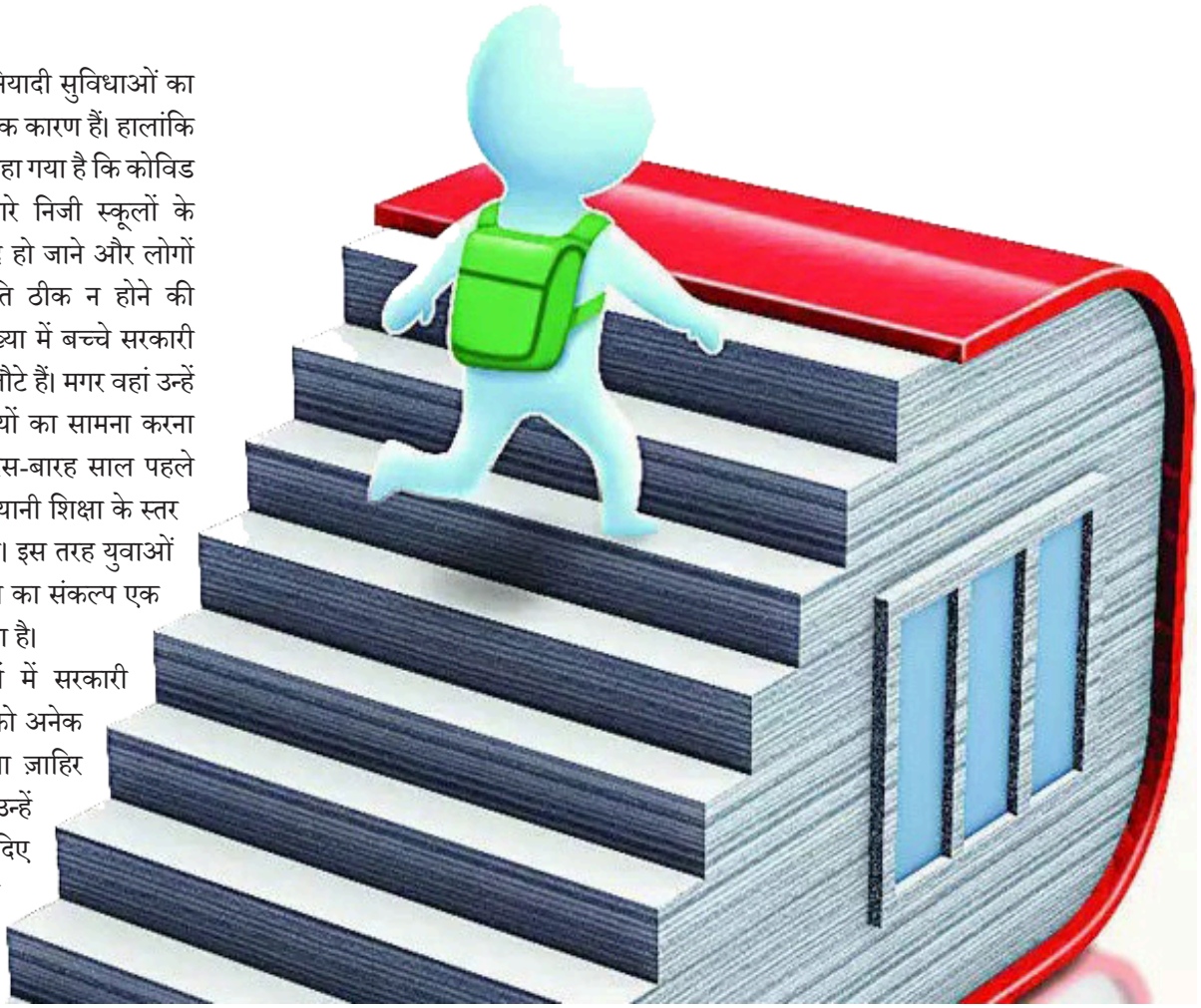

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की दशा को अनेक अध्ययनों में चिंता ज़ाहिर की जाती और उन्हें सुधारने के सुझाव दिए जाते रहे हैं। मगर राज्य सरकारें इस तरफ़ अब तक गंभीर नज़र नहीं आतीं। बहुत सारे स्कूलों में छात्रों के अनुपात में अध्यापक तो दूर, एक या दो अध्यापकों से काम चलाना पड़ता है। कई राज्यों ने अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए अनुबंध आधार पर पैरा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता इख़्तियार कर लिया है।

नियमित अध्यापकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा दिया जाता है। इस तरह अध्यापकों को जितना ध्यान विद्यार्थियों को पढ़ाने और उनके व्यक्तित्व विकास पर देना चाहिए, वे नहीं दे पाते। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का बोझ कम करने और विद्यार्थी की मूल प्रतिभा को निखारने, उसमें कौशल विकास कर रोज़गार की ओर उन्मुख करने पर बल है। मगर जब बच्चे प्राथमिक स्तर की पुस्तकें पढ़ और अंकगणितीय समस्याएं सुलझा पाने में भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो उनसे नई शिक्षा नीति पर खरे उतरने की कितनी उम्मीद की जा सकती है।

स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर की ज़िम्मेदारी केवल शिक्षकों के कंधों पर नहीं है, यह सामूहिक दायित्व है। माता-पिता, नीति-निर्माताओं और बड़े पैमाने पर शिक्षित समुदाय को सुधारों की वकालत करने के लिए एकजुट होना चाहिए क्योंकि स्कूली शिक्षा का गिरता स्तर कठोर वास्तविकता है, जिस पर हमें ध्यान देने और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

यह ऐसी चुनौती है, जिसका समाधान नहीं किया गया तो यह हमारे समाज की बुनियाद के लिए ख़तरा है क्योंकि समाज का भविष्य शिक्षित और कुशल नागरिक वर्ग पर निर्भर करता है। लिहाज़ा हमें सामूहिक रूप से इस स्थिति की तात्कालिकता को स्वीकार करना चाहिए और मूल कारणों के समाधानपरक व्यापक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश/समाज की नींव होती है। इस नींव को मज़बूत करना बेहद ज़रूरी है। यदि हम प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ क्रियान्वयन पर ज़ोर दें, तो बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं। जो देश/समाज शिक्षित होता है, वह अपना सुनहरा भविष्य ख़ुद बना सकता है। ■■

आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक

जाबिर इब्ने हय्यान

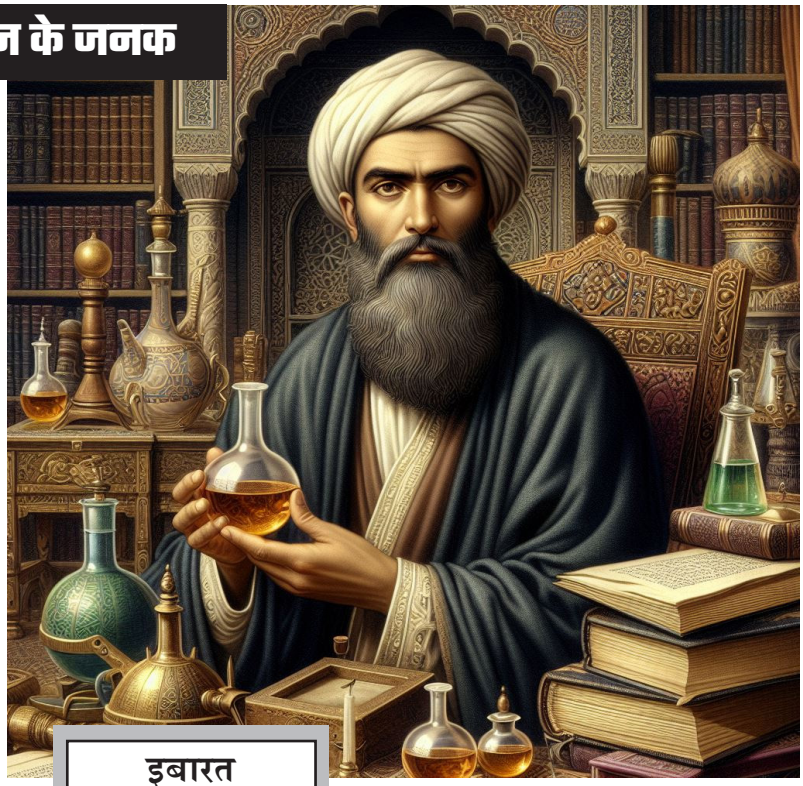

इबारत



संपादन प्रभाग

जाबिर बिन हय्यान विज्ञान के इतिहास में सबसे दिलचस्प शख़्सियतों में से एक हैं। क्यों? क्योंकि वह न केवल विज्ञान के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं, बल्कि रसायनशास्त्र के जनक भी हैं। जाबिर इब्न हय्यान का जन्म 721 ईस्वी में फ़ारस, जिसे अब ईरान के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। रसायन विज्ञान में उनके योगदान में कई रासायनिक यौगिकों और तकनीकों के निष्कर्ष शामिल हैं, जिनका आज भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जाबिर को चिकित्सा, औषध विज्ञान, प्राणीशास्त्र और खगोल विज्ञान का भी शौक़ था।

जाबिर इब्न हय्यान मुसलमानों के स्वर्ण युग के सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वह रसायन विज्ञान के प्रयोगों के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने रसायन विज्ञान के कई प्रयोग स्वयं भी किए। उन्होंने कई नए रसायन खोजे जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी शामिल है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी काम करने के कारण उन्हें आधुनिक विश्व में रसायन विज्ञान का संस्थापक माना जाता है।

जाबिर इब्न हय्यान, को पश्चिमी दुनिया में गेबर (Gaber or Jaber) भी कहा जाता है। उनके बचपन के दौरान, उनके परिवार को अरब की भूमि पर पलायन करना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की।

जाबिर इब्न हय्यान ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उनके द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण खोजें और योगदान इस प्रकार हैं-

• वह सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत प्रसिद्ध एसिड है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वाहनों की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है।

• उन्होंने किसी पदार्थ के कई गुणों का परिचय दिया, जैसे गर्मी, शीतलता, नमी और सूखापन।

• उन्होंने सीसा तत्व और शोरा की सहायता से मौलिक सोने को अशुद्धियों से अलग किया।

• उन्होंने तत्व पारे को शुद्ध करने की विधि खोजी।

• कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पानी को नरम बना सकते हैं; जाबिर ने इन पदार्थों को क्षार कहा।

• एक्वा रेजिया नामक एसिड का मिश्रण भी उनके द्वारा निर्मित किया गया था। एक्वा रेजिया में मौलिक सोने को घोलने की क्षमता होती है।

• जाबिर ने 20 से अधिक प्रकार के रसायन विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण विकसित किए; उनमें से अधिकांश का उपयोग आज भी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रयोगशाला उपकरण रिटॉर्ट और एलेम्बिक हैं।

• उन्होंने क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा पदार्थों को शुद्ध करने की

एक विधि विकसित की।

• जाबिर ने एक सिद्धांत सुझाया जिसमें कहा गया कि धातुएं सल्फ़र और पारे से बनी होती हैं। इन दोनों पदार्थों की मात्रा अलग-अलग करने से आपको एक नई धातु प्राप्त होती है।

अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां रसायन विज्ञान अज्ञात नहीं था, क्योंकि उनके पिता फार्मासिस्ट थे। यह रसायन विज्ञान में उनकी रुचि का कारण होगा। जाबिर के पिता को बाद में उस समय के राजनीतिक संघर्षों के कारण मार दिया गया, जिसने उन्हें कुफ़ा शहर में भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस शहर पर तब अब्बासिद ख़लीफ़ा हारून अल-रशीद का शासन था। कूफ़ा में, जाबिर ने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी जहां उन्होंने रसायन विज्ञान पर काम करना जारी रखा।



जाबिर इब्न हय्यान बिना किसी शक के सबसे बड़े मुस्लिम वैज्ञानिकों में से एक हैं। होल्मार्ड वैध रूप से उसका नाम 'रसायन विज्ञान का पिता' रखता है। होल्मियार्ड के अनुसार, जाबिर ने जिन बुनियादी पहलुओं को सामने लाया, उनमें से एक रसायन विज्ञान के व्यावहारिक पक्ष का विकास थारू प्रयोग करना। प्रायोगिक विज्ञान ने मुसलमानों को अटकलों की प्राचीन ग्रीक परंपरा से अभ्यास के रूप में अलग किया। जाबिर ने निम्नानुसार प्रयोग करने के महत्व पर ज़ोर दिया, पेजतल रसायन विज्ञान में सबसे आवश्यक यह है कि आप व्यावहारिक कार्य करें और प्रयोग करें, उनके लिए जो न तो व्यावहारिक कार्य करते हैं और न ही प्रयोग करते हैं, वे कभी भी कम से कम डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते।

जाबिर की सटीकता पर ध्यान देने के कारण उन्हें ऐसे स्केल बनाने पड़े जो 1/6 ग्राम की सटीकता के साथ वज़न कर सकते थे। उसके लिए, पदार्थ के साथ प्रयोग करने का मतलब था कि वह विभिन्न पदार्थों को मिश्रित कर सकता है, गर्म कर सकता है, ठंडा कर सकता है, पीस सकता है। C. कीमिया स्टिक 'कार्यस्थल की पारंपरिक छवि बहुत कुछ ऐसी दिखती थी जिसे आज हम एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कहेंगे।

विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ उनके प्रयोगों ने प्रतिक्रियाओं को कम करने की विधि दी (जैसे एक प्रतिक्रिया जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना शामिल है), कैल्सीनेशन (हीटिंग के माध्यम से ऑक्सीकरण, उदा। चाक को जलाना) और शायद सबसे महत्वपूर्ण है आसवन।

अपने होममेड एलेम्बिक का उपयोग करके उन्होंने आसवन करने का एक सरल तरीक़ा बनाया। एलेम्बिक एक ट्यूब से जुड़ी दो बोतलों का एक सरल निर्माण है। बोतलों में से एक को गर्म किया जाता है और नली के माध्यम से द्रव को अंदर घनीभूत और टपकने का कारण बनता है। एलेम्बिक का उपयोग बाद में मिट्टी के तेल में खनिज तेल को परिष्कृत करने के लिए किया गया था जिसे दीपक तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जॉन डाल्टन (एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और रसायनशास्त्री जो अपने परमाणु सिद्धांत और अणु सिद्धांत के माध्यम से जाने जाते हैं) से दस शताब्दियों पहले, जाबिर ने रासायनिक बांड की छवि को तत्वों के बीच एक कड़ी के रूप में बनाया था, वास्तव में छोटे कण नग्न आंखों के लिए अदृश्य थे। अपनी सभी मूल विशेषताओं को खोए बिना। जाबिर ने कई नए पदार्थों की पहचान की।

यह अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे मज़बूत एसिड की खोज की। ये खोजें आधुनिक रसायन विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं, जो रासायनिक उद्योग के लिए भी आवश्यक हैं। जाबिर ने भी इस बात की आधारशिला रखी थी कि आज मेंडेलीव को तत्वों की आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मेंडेलीव की तरह रासायनिक तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए एक तालिका बनाने की कोशिश की।

जाबिर इब्न हय्यान ख़लीफ़ा से छिप नहीं सके, उन्हें घर में ही गिरफ़्तार कर लिया गया और वर्ष 815 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने तक उन्होंने अपना शेष जीवन गिरफ़्तारी में बिताया। ■■

सांस्कृतिक विरासत की अमिट छाप

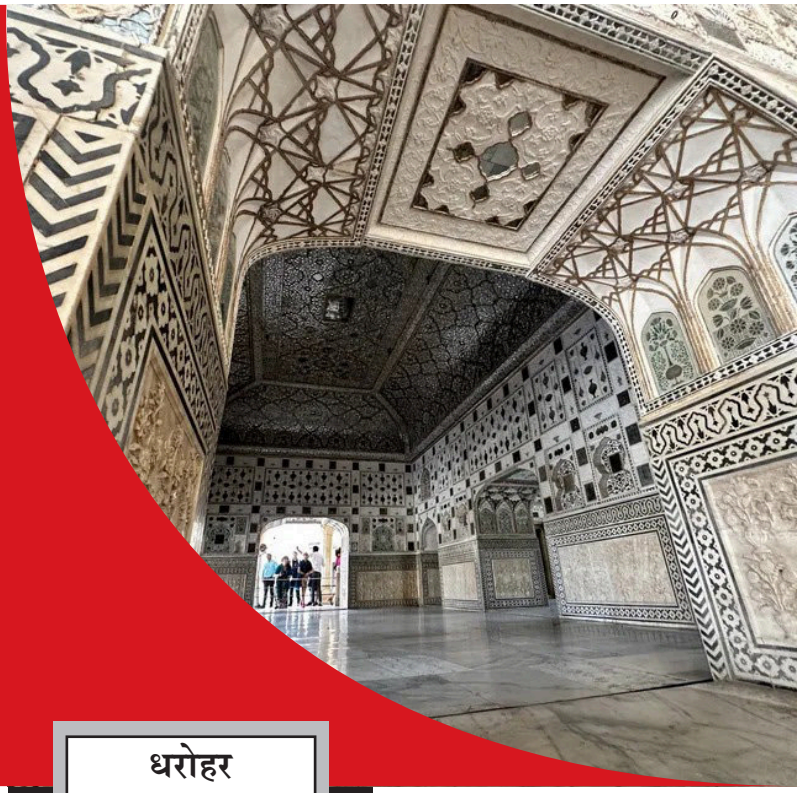

धरोहर



शफ़ाअत शाहबंदरी

यह कोई रहस्य नहीं है कि मुगल कला, शिल्प और उद्योग के महान संरक्षक थे, उनके शासन के दौरान रचनात्मकता, नवाचार और उद्योग फले-फूले, जिससे भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन गया। उनके उदार संरक्षण और सुविधा का मतलब था कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कारीगरों ने भारत की ओर रुख किया।

दो शताब्दियों से अधिक की उदासीनता, कृतघ्नता और उद्दंडता के बावजूद, भारत के समृद्ध मुस्लिम शासनकाल की मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों की छापें अभी भी जीवंत हैं। भाषा और कला से लेकर भोजन और वास्तुकला तक, भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के हर पहलू में मुस्लिम ध्वनियों, स्वादों और रंगों के मज़बूत निशान हैं जो उस युग से टपकते रहते हैं, जिसने दुनिया को भारत की ओर आकर्षित किया।

आप चाहें या न चाहें, आधुनिक भारतीय संस्कृति अभी भी मुग़लों और नवाबों की विरासत की भारी ऋणी है। फ़ारसी संस्कृति, जो मुस्लिम राजवंशों के पतन के दौरान प्रभावी रही थी, आज भी हमारे रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित कर रही है।

चाहे हम इसे हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, जो भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, ख़ासकर उत्तर भारत में, उसने मुग़ल दिल्ली और नवाबी लखनऊ के दौर में आकार लिया। हालांकि, मुग़लों के भाग्य का सूर्यास्त हुए लगभग दो शताब्दियां हो गई हैं, फिर भी उनका भोजन आज भी लोकप्रिय है और हर दिन लोकप्रियता हासिल कर रहा है। क्या बिरयानी और कबाब के बिना कोई पार्टी पूरी हो सकती है?

लोग आज भी उर्दू और इसकी मधुर धुन के प्रभाव से विमुख नहीं हुए हैं। सार्वजनिक चेतना से इसे मिटाने के कुछ गंभीर प्रयासों के बावजूद, बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा के तेज़ी से बदलते परिवेश में अभी भी उर्दू के कुछ मज़बूत पहलू मौजूद हैं। उर्दू सिनेमा के स्वर्ण युग के केंद्र में स्थित रही है, जिसमें कुछ बेहतरीन संवाद और गाने हैं, जिन्हें देखकर हम में से ज़्यादातर लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं।

मुस्लिम वास्तुकारों की मूर्त विरासत अभी भी भारत में सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण बनी हुई है। सिर्फ़ ताज महल और दिल्ली की जामा मस्जिद ही नहीं, मुस्लिम वास्तुकारों ने क़ुतुब मीनार और चारमीनार जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों में सौंदर्य उत्कृष्टता के विशाल प्रतीक छोड़े हैं।

दिल्ली, आगरा और लखनऊ के अलावा, अहमदाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद और बीजापुर जैसे शहर मुस्लिम संरक्षकों के बिना अस्तित्व में नहीं होते। उनके स्वभाव को बदलने की लगातार कोशिशों के बावजूद उनके मुस्लिम चरित्र को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

वास्तुकला से अधिक कारीगर परंपराएं हैं, जिनमें मुस्लिम प्रभाव के सबसे बड़े निशान मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिमों ने सभी बाधाओं के बावजूद इस विरासत को संरक्षित करना जारी रखा है। पश्मीना शॉल और बनारसी साड़ियों से लेकर रोगन आर्ट और बिदरीवेयर तक, भारत की कुछ सबसे प्रसिद्ध हस्तनिर्मित परंपराओं को मुस्लिम कारीगरों द्वारा बड़ी मेहनत से संरक्षित किया गया है, एक जीवित विरासत को बनाए रखा गया है जिसका पता महान मुग़लों, बहमनियों, आदिल शाहियों के संरक्षण से लगाया जा सकता है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि मुग़ल कला, शिल्प और उद्योग के महान संरक्षक थे, उनके शासन के दौरान रचनात्मकता, नवाचार और उद्योग फले-फूले, जिससे भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन गया। उनके उदार संरक्षण और सुविधा का मतलब था कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कारीगरों ने भारत की ओर रुख़ किया।

मलमल और ब्रोकेड से लेकर हीरे और आभूषणों तक, भारत के कारीगरों ने कुछ उत्कृष्ट हस्तनिर्मित सामान बनाए जो दुनिया भर के व्यापारियों को भारत की ओर आकर्षित करते थे।

भारत में मुग़ल शासन के चरम के दौरान, जब औरंगज़ेब आलमगीर



शीर्ष पर था, भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 27 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो पूरे यूरोप की संयुक्त जीडीपी से भी अधिक थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, जब अंग्रेज़ों ने देश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया, भारत दुनिया भर में निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक था।

औपनिवेशिक प्रशासन की अद्वितीय लोलुपता और भ्रष्टता के बावजूद, जिसके कारण एक सदी पहले भारतीय शिल्प परंपराएं लगभग विलुप्त हो गई थीं, भारतीय हस्तशिल्प कारीगरों के लचीलेपन और उद्योग के कारण बड़े पैमाने पर जीवित रहा।

हालांकि, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी उन्मूलन की नीति जारी रही और आज तक जारी है, भारतीय कारीगर समुदायों ने एकाधिकार के हमले, क्रूर आर्थिक नीतियों और प्रतिकूल नियमों और शर्तों के ख़िलाफ़ उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कई शिल्प समूहों को सांप्रदायिक उदासीनता, भेदभाव और पूर्वाग्रह का भी सामना करना पड़ा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि भारत में प्राचीन हस्तनिर्मित शिल्प परंपराएं जीवित हैं।

बिदरी कला जो मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा शुरू की गई थी आज भी प्रचलित है। एक बिदरीवेयर कलाकृतियों की सुन्दरता बेजोड़ होती है। पांच शताब्दियों से अधिक समय से, मुग़ल सम्राटों, राजपूत राजाओं और बंगाल के नवाबों से लेकर बहमनी, आदिल शाही और विजयनगर सुल्तानों (हां, विजयनगर के राजा ख़ुद को सुल्तान कहलाना पसंद करते थे) जैसे राजघरानों और कुलीनों के बीच बिदरीवेयर वस्तुएं अनिवार्य रूप से सजावट का हिस्सा रही हैं।

पूर्व-आधुनिक युग में, हैदराबाद के निज़ाम इस जादुई शिल्प के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं, उन्होंने न केवल हुक्का (शीशा), फूलदान, वैनिटी बक्से, ईवर और घड़े जैसी कलाकृतियों को इकट्ठा किया, बल्कि कई कारीगरों को

हैदराबाद में स्थानांतरित भी किया। 20वीं सदी की शुरुआत में कारीगरों के प्रवासन और संरक्षण खोने के बावजूद, कर्नाटक का उत्तरी शहर बीदर आज भी बिदरीवेयर का केंद्र बना हुआ है।

हालांकि, बिदरी धातु शिल्प की उत्पत्ति मध्ययुगीन फ़ारस में हुई है, लेकिन अपने विशिष्ट भारतीय रूप में बिदरी वेयर 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बहमनी साम्राज्य की राजधानी में विकसित हुआ। बहमनी कला और

आधुनिक भारतीय संस्कृति अभी भी मुगलों और नवाबों की विरासत की भारी ऋणी है। फ़ारसी संस्कृति, जो मुस्लिम राजवंशों के पतन के दौरान प्रभावी रही थी, आज भी हमारे रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित कर रही है। भाषा

में लगातार गिरावट देखी गई है, केवल कुछ ही उस्तादों ने अपना जादू चलाया है। वर्तमान में, बीदर शहर में लगभग 150 पंजीकृत कारीगर हैं, लेकिन शहर के केवल मुट्ठी भर कारीगरों के पास उस्ताद कहलाने के लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई और कौशल की निपुणता है। कुछ उस्तादों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर एमए रऊफ़ सिद्दीक़ी भी शामिल हैं, जो आधुनिक सौंदर्य संवेदनाओं को पूरा करते हुए एमए रऊफ़



वास्तुकला के प्रति अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिदरी धातु शिल्प जैसे जटिल और पेचीदा उद्यम का जन्म उनके शाही महल में हुआ था। यह, शायद, उन अंतिम कुछ प्रभावों में से एक है जो मध्ययुगीन बहमनियों ने आधुनिक भारत पर जारी रखा है।

कला प्रेमियों और शिल्प के पारखी लोगों पर बिदरी वेयर के जादू के बावजूद, पिछले कुछ दशकों में इस उद्यम

और कला से लेकर भोजन और वास्तुकला तक, भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के हर पहलू में मुस्लिम ध्वनियों, स्वादों और रंगों के मज़बूत निशान हैं जो उस युग से टपकते रहते हैं, जिसने दुनिया को भारत की ओर आकर्षित किया।

सिद्दीक़ी एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मास्टर शिल्पकार हैं, जो आधुनिक सौंदर्य संवेदनाओं को पूरा करते हुए विदरी वेयर का पुनरुद्धार कर रहे हैं। भले ही बिदरीवेयर परंपरा का समग्र परिदृश्य विशेष रूप से उत्साहजनक नहीं है, लेकिन वे तकनीकों, रूपांकनों और तरीक़ों को आधुनिक बनाते हुए नए पैटर्न के साथ नवीनतम सॉफ़्टवेयर अपना रहे हैं और नई सीमाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ■■

यूसीसी : एकरूपता के दावे हुए धराशायी



समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। बहुप्रचारित 'एकरूपता' पहले दिन ही विफल हो गई क्योंकि मसौदे में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। यह मसौदा 5 फ़रवरी से शुरू होने वाले आगामी सत्र में 6 फ़रवरी को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी के लिए मसौदा समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की थी।

सीएम धामी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक़ यूसीसी लाने का वादा किया था। उनके मुताबिक़ ड्राफ्ट रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी और संबंधित बिल विधानसभा में लाएगी और उसे लागू करेगी। हालांकि श्री धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में यूसीसी का कार्यान्वयन किसी को निशाना बनाने या किसी का विरोध करने के लिए नहीं है, लेकिन मुस्लिम समूहों का आरोप है कि यूसीसी के उनके विरोध पर विचार नहीं किया गया। उनका यह भी आरोप है कि उत्तराखंड का यूसीसी मसौदा मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सीधा हमला है, क्योंकि वह यूसीसी लागू होने पर बेमानी हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए एक 'मॉडल' होगा। इस विधेयक के आधार पर गुजरात और असम विधानसभाएं अपने विधेयक को अपना सकती हैं।

वादा पूरा करे सरकार- संयुक्त किसान मोर्चा



दो साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित तीन कृषि क़ानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि ये क़ानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को ख़त्म कर सकते हैं और खेती-किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपी जा सकती है। कृषि क़ानूनों को लेकर किसानों को बड़ी क़ुर्बानी देनी पड़ी। किसान क़रीब एक साल तक लगातार धरना-प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, हालांकि, सरकार और ग़ैर-सरकारी सतह पर इन दावों को अहमियत नहीं मिली।

दो साल पहले सरकार ने न सिर्फ़ क़ानूनों को रद्द कर दिया, बल्कि एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध-प्रदर्शन के लिए उतरे। ख़ास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है।

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के मुताबिक़ किसानों को फ़सल के दाम देने का वादा किया था। सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही।

हल्द्वानी : पुलिस प्रताड़ना से पलायन

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते 8 फ़रवरी को मलिक का बग़ीचा में स्थित एक मदरसे और मस्जिद को अवैध बताकर गिराए जाने के बाद हुए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बल-प्रयोग के बाद भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूज़ पोर्टल इंडिया टुमारो से बात करते हुए कई पीड़ित परिवारों ने बताया कि पुलिस की बर्बरता और प्रताड़ना से परेशान होकर लोग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों या दूसरे शहरों में जा रहे हैं। एक महिला ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, "पुलिस मुस्लिम घरों पर रात 2-3 बजे दबिश दे रही और लोगों को परेशान कर रही, ऐसे में भला कौन रहना चाहेगा।"

एक वृद्ध महिला ने बताया कि, "हम सभी लोग पुलिस की बर्बरता से परेशान हैं, वो गालियां देते हुए घरों में घुसते हैं और तोड़फोड़ के साथ मार-पीट करते हैं, इसी डर से सभी ये इलाक़ा छोड़कर जा रहे हैं।" मुस्लिम बहुल इलाक़ों की गलियां शांत हैं, सड़कें सूनी हैं और घरों पर ताले लगे हैं। गलियों के अन्दर भी पुलिस गश्त कर रही, इसलिए जो परिवार मौजूद हैं वे घरों में क़ैद हैं। जब भी उन्हें मौक़ा मिल रहा, परिवार पलायन कर रहे। घटना के दो दिन बाद शहर में कर्फ़्यू में कुछ ढील तो दी गई है, लेकिन प्रभावित इलाक़े के साथ-साथ मुस्लिम बाहुल्य इलाक़ों में सख़्ती बरती जा रही है। मुस्लिम इलाक़ों में जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिया गया है और अन्दर जाने पर पाबन्दी है। इंडिया टुमारो की टीम जब मलिक का बग़ीचा पहुंची तो वहां स्थानीय लोग पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर जा चुके थे या जा रहे थे।



कुछ परिवार जिनमें छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या विकलांग हैं वे अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम पर चौतरफ़ा ज़ुल्म हुआ है और अब भी हो रहा है। अपने आंसू पोछती हुई एक वृद्ध महिला ने कहा, "हम अपना मदरसा और मस्जिद बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, हम पर लाठियां बरसाई गई, हमें पत्थर मारा गया, हमें गोलियां मारी गई और 5 की मौत हो गई और अब हमें ही घर छोड़कर जाना पड़ रहा।"

एक और महिला ने कहा, "ये कैसा न्याय है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन और मीडिया सभी हमें दंगाई कह और लिख रहे हैं, जबकि हम तो अपने मदरसे को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे।" महिला ने कहा, "आग किसने लगाई ये तो जांच का विषय है और गोली किसने चलाई इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कोई किसी को दंगाई कैसे कह सकता है।"



अनभिज्ञता का दंश

प्रकाश स्तंभ

संपादन प्रभाग

आज विश्व अपनी तमाम विशालताओं के बावजूद एक घर की तरह हो गया है, जिसमें रहने वाले लोग भले ही विभिन्न क़ौमों, सम्प्रदायों और वर्गों से सम्बन्ध रखते हों, किन्तु वे एक ही घर के रहने वाले हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम' एवं सहअस्तित्व का सिद्धान्त एक सभ्य और शान्तिपूर्ण जीवन का माना हुआ सिद्धान्त है। विभिन्न क़ौमों, सम्प्रदायों और आबादी के विभिन्न तत्वों की एकात्मकता, विश्वास, प्रेम व सम्मान तथा सहयोग व सहभागिता के लिए आवश्यक है कि हर क़ौम, दूसरी क़ौम के मिज़ाज व अभिरुचि तथा उसकी धार्मिक परम्पराओं व आस्थाओं से न केवल परिचित हो अपितु उनके विषय में उदार भी हो।

लेकिन यह कितने दुःख का विषय है कि एक घर के रहने वाले लोग, एक क्षेत्र के वासी, बाज़ारों और मंडियों में साथ आने-जाने वाले, शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों, कचहरियों में एक साथ उठने-बैठने वाले, रेलों, बसों, हवाई जहाज़ों में साथ यात्रा करने वाले, और जिनको आसानी से एक-दूसरे से परिचय के अवसर प्राप्त हो और वे एक दूसरे की आस्था, उपासना, धार्मिक शिक्षा और विशेषताओं से लगभग ऐसे अनजान और अजनबी हों जैसे प्राचीन समय में हुआ करते थे, जब आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध न थीं।

> **"विभिन्न क़ौमों, सम्प्रदायों और आबादी के विभिन्न तत्वों की एकात्मकता, विश्वास, प्रेम व सम्मान तथा सहयोग व सहभागिता के लिए आवश्यक है कि हर क़ौम, दूसरी क़ौम के मिज़ाज व अभिरूचि तथा उसकी धार्मिक परम्पराओं व आस्थाओं से न केवल परिचित हो अपितु उनके विषय में उदार भी हो।"**

भारत में लगभग एक हज़ार वर्षों से हिन्दु-मुसलमान इकट्ठा रहते हैं। शहरों, क़स्बों, देहातों और मुहल्लों में उनकी मिली-जुली आबादी निवास करती है। बाज़ारों मंडियों, शिक्षण संस्थाओं, राजनैतिक आन्दोलनों, सामाजिक कार्यों, स्टेशन और डाक घरों, रेलों और बसों में उनको एक-दूसरे से मिलने-जुलने और एक-दूसरे को जानने-पहचानने के अवसर आसानी से प्राप्त हैं, लेकिन यह दुनिया की आश्चर्यजनक घटना और एक प्रकार की पहेली है जिसका बूझना आसान नहीं कि वे एक-दूसरे के धार्मिक विश्वास, सभ्यता व रहन-सहन, तौर-तरीक़ों और क़ौमी विशेषताओं से लगभग उतनी ही अनभिज्ञता और अजनबियत रखते हैं जैसी पुराने समय में प्रायः दो देशों के वासियों के बीच हुआ करती थी।

हरेक का ज्ञान दूसरे के प्रति, दोषपूर्ण,

यह कितने दुःख का विषय है कि एक घर के रहने वाले लोग, एक क्षेत्र के वासी, बाज़ारो और मंडियों में साथ आने जाने वाले, शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों, कचहरियों में एक साथ उठने बैठने वाले, रेलों, बसों हवाई जहाज़ों में साथ यात्रा करने वाले, और जिनको आसानी से एक दूसरे से परिचय के अवसर प्राप्त हो और वे एक दूसरे की आस्था, उपासना, धार्मिक शिक्षा और विशेषताओं से लगभग ऐसे अन्जान और अजनबी हों जैसे प्राचीन समय में हुआ करते थे, जब आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध न थीं।

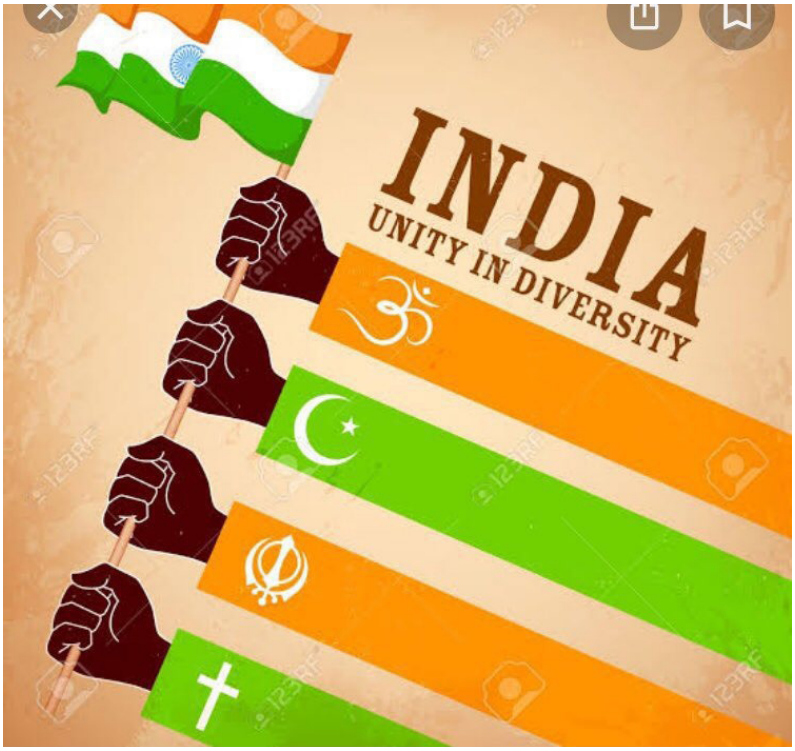

सरसरी और अधिकतर सुनी-सुनाई बातों और कल्पनाओं पर आधारित है। प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के बारे में तीव्र भ्रांतियों से ग्रसित है। आमतौर पर लोग घृणा फैलाने वाले साहित्य, राजनीतिक प्रोपगन्डे, विशाक्त इतिहास, पाठ्यक्रम की किताबों और अप्रमाणित दास्तानों और कहानियों के आधार पर एक-दूसरे के प्रति अपने मन-मस्तिष्क में एक ग़लत और घिनौनी तस्वीर क़ायम किए हुए हैं। एक सम्प्रदाय के उदार प्रवृत्ति, नेकदिल और सादा तबीयत व सहज स्वभाव के लोगों से यदि दूसरे सम्प्रदाय के मूलभूत विश्वास, रीति-रिवाज और रहन-सहन के सिद्धान्तों के बारे में पूछा जाए तो या तो वे अज्ञानता व्यक्त करेंगे अथवा ऐसे उत्तर देंगे कि जिनसे एक जानकार आदमी को बे-इख़्तियार हंसी आ जाएगी।

लेकिन यह हंसी की बात नहीं दुख की बात कि सैकड़ों वर्ष से साथ रहने के बावजूद हम एक-दूसरे से इतने अपरिचित हैं। इसका उत्तरदायित्व मात्र एक सम्प्रदाय पर नहीं, सब पर है। विशेषकर धार्मिक, सामाजिक कार्य करने वालों, देश से सच्चा प्रेम रखने वालों और मानवता के प्रेमियों पर है कि उन्होंने एक-दूसरे से सही ढंग पर परिचित कराने का गम्भीर प्रयास नहीं किया अथवा किया तो अपर्याप्त।

सभ्य संसार में अब यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि प्रेम व श्रद्धा, विश्वास व शान्ति के साथ रहने और नेक उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे से सहयोग करने के लिए एक-दूसरे से सम्बन्धित सही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। आबादी के हर तत्व, और हर सम्प्रदाय और हर गिरोह को ज्ञात होना चाहिए कि दूसरा तत्व, दूसरा सम्प्रदाय और गिरोह किन सिद्धान्तों पर आस्था रखता है, किन नियमों का अपने को पाबन्द और उनको अपने लिए ज़रूरी समझता है।

उसकी सभ्यता और संस्कृति का विशेष रंग क्या है? उसको जीवन के कौन

हरेक का ज्ञान दूसरे के प्रति, दोषपूर्ण, सरसरी और अधिकतर सुनी सुनाई बातों और कल्पनाओं पर आधारित हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के बारे में तीव्र भ्रांतियों से ग्रसित है। आमतौर पर लोग घृणा फैलाने वाले साहित्य और अप्रमाणित दास्तानों और कहानियों के आधार पर एक-दूसरे के प्रति अपने मन मस्तिष्क में एक ग़लत और घिनौनी तस्वीर क़ायम किए हुए हैं। सैकड़ों वर्ष से साथ रहने के बावजूद हम एक दूसरे से इतने अपरिचित हैं। इसका उत्तरदायित्व मात्र एक सम्प्रदाय पर नहीं, हम सब पर है। और विशेषकर धार्मिक, सामाजिक कार्य करने वालों, देश से सच्चा प्रेम रखने वालों और मानवता के प्रेमियों पर है कि उन्होंने एक दूसरे से सही ढंग पर परिचित कराने का गम्भीर प्रयास नहीं किया अथवा किया तो अपर्याप्त।

से मूल्य व मान्यताएं प्रिय हैं? उसको आन्तरिक शान्ति और भरोसेमन्द जीवन यापन के लिए क्या चीज़ें वांछित हैं? कौन-सी आस्थाएं और उद्देश्य उसको जान से अधिक प्यारे और औलाद से अधिक प्रिय हैं? हमें उससे बातचीत करने में, उसके साथ सुख और दुख के क्षण बिताने में किन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए?

सह-अस्तित्व के लिए, जो सभ्य व शान्तिपूर्ण जीवन का माना हुआ सिद्धान्त है, पहली शर्त है कि ज़रूरी हद तक एक-दूसरे के प्रति जानकारी हासिल हो। प्रेम व मुहब्बत के साथ रहने, हंसने बोलने, जीवन का आनन्द उठाने और एक-दूसरे पर भरोसा करने और एक दूसरे की सभ्यता व पंथ के प्रति आदर व सम्मान की दौलत से हम वंचित हैं। इस वस्तुस्थिति का नुक़सान हिन्दुओं-मुसलमानों को समान रूप से पहुंचता है, और जो देश तथा अन्ततः मानव जाति को नुक़सान पहुंचाती है। विभिन्न सम्प्रदायों के बीच बड़ी-बड़ी खाइयां क़ायम हैं।



इन्सान एक सामाजिक अस्तित्व रखता है। वह चाहे न चाहे बहुत से रिश्तों और सामाजिक संबंधों में बंधा होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में ये संबंध बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। कभी-कभी ऐसा समय भी आता है कि संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। वह झगड़ों और झमेलों में यूं उलझता है कि प्रेम और भाईचारे को भुलाकर कड़वाहटों को सख़्ती से पकड़ लेता है।

आज हमें इस बात का आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि हमारे संबंध दूसरों के साथ कैसे हैं? अक्सर आदमी महसूस करता है कि वह हक़ पर है और दूसरों ने उसके साथ नाइन्साफ़ी की है। ज़रा ग़ौर से देखें तो यह दुनिया ऐसी खेती की तरह है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। यह दुनिया एक ऐसी वादी है कि ख़ुद हमारा रवैया प्रतिध्वनि बनकर हमारी ओर लौट आता है। लिहाज़ा समझदारी यह है कि दूसरों से शिकायत करने के बजाए आप अपनी ज़िन्दगी को बेहतर बनाना शुरू कर दें। यदि आपको प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम देना सीखें। आपको सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना सीखें। आपको इंसाफ़ चाहिए तो पहले इंसाफ़ करना सीखें। यदि आपको संबंधों में मधुरता चाहिए तो दूसरों के साथ मामला करने में सहृदयता का प्रदर्शन करें। ■■



घातक रूप न लेने पाए कमर दर्द

आजकल की भागम-भाग भरी ज़िंदगी में कमर दर्द एक आम समस्या बन गया है। ख़ासकर महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत अधिक देखी जाती है। हालांकि अब न तो उम्र की कोई सीमा रही और न कामकाज की प्रकृति का कोई प्रभाव इसका कारण माना जाता है। विशेष रूप से कमर के निचले हिस्से में दर्द अब आम समस्या बन गया है। यह आमतौर पर कुछ हफ़्तों के भीतर ठीक हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यह लंबे समय तक बना रह सकता है या वापस आ सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कमर दर्द का एक सामान्य कारण मांसपेशी में खिंचाव या तनाव होता है।

कभी-कभी स्लिप्ड डिस्क, कटिस्नायुशूल (फंसी हुई नस) या एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी चिकित्सीय स्थितियां पीठ दर्द का कारण बन सकती है। कई बार कमर दर्द किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे हड्डी के टूटने, कैंसर या संक्रमण आदि का।

लक्षण

कमर दर्द एक विशिष्ट स्थान में उभरने से लेकर पूरी पीठ में फैलने वाले सामान्य दर्द तक हो सकता है। कभी-कभी दर्द कमर से आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों, जैसे नितंबों, पैरों या पेट में जाता



है। कमर दर्द की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है। इसे आप कमर के प्रकार, कारणों और स्थान के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। कमर दर्द के प्रमुख लक्षण हैं-

उठने और झुकने पर दर्द बढ़ना, आराम करने, बैठने या खड़े होने पर तेज़ दर्द होना, कमर दर्द का आना और चले जाना, सुबह उठने पर अकड़न और गतिविधि के साथ पीठ दर्द कम होना, दर्द का पीछे से नितंबों, पैरों या कूल्हे में फैलना, पैरों में सुन्नता या कमज़ोरी होना। अगर कुछ हफ़्तों के बाद भी आपके दर्द में सुधार नहीं होता या कमर दर्द के साथ निम्न लक्षणों में से कोई लक्षण दिखाई देता है, तो आपको तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। सुन्न होना और सिहरन होना, गंभीर कमर दर्द, जो दवा से ठीक नहीं होता, गिरने या चोट लगने के बाद कमर दर्द होना, पेशाब करने में परेशानी होना, पैरों में कमज़ोरी, दर्द या सुन्नपन, बुख़ार होना। कमर दर्द अक्सर बिना किसी कारण के विकसित होता है, जो परीक्षण में ही दिखाई देता है।

कारण

कमर दर्द अक्सर बिना किसी कारण के विकसित होता है, जो परीक्षण में ही दिखाई देता है। आमतौर पर कमर दर्द के कारण है-मांसपेशियों या लिगामेंट में खिचाव बार-बार भारी सामान उठाने या अचानक अजीब हरकत करने से पीठ की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स में खिंचाव आ सकता है।

ख़राब शारीरिक स्थिति वाले लोगों के लिए, पीठ पर लगातार तनाव दर्दनाक मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर सकता है।

डिस्क का टूटना या अपनी जगह से खिसक जाना

डिस्क, रीढ़ की हड्डियों के बीच गद्दी का काम करती है। एक डिस्क के अंदर की नरम सामग्री उभर या फट सकती है और एक तंत्रिका पर दबाव डाल सकती है। हालांकि, डिस्क का टूटना या अपनी जगह से खिसकना कमर दर्द का कारण हो सकता है। डिस्क रोग अक्सर रीढ़ के एक्स-रे, सीटी स्केन या किसी अन्य कारण से किए गए एमआरआई से ही पहचान में आता है।

गठिया

पुराना गठिया पीठ के निचले हिस्से को प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में, रीढ़ का गठिया रीढ़ की हड्डी के चारों ओर की जगह को कम कर सकती है, इस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है।

एंकिलोज़िंग स्पोंडिलिटिस

जिसे अक्षीय स्पोंडिलो आर्थराइटिस भी कहा जाता है। यह बीमारी रीढ़ की कुछ हड्डियों के ख़राब होने का कारण बन सकती है। इससे रीढ़ की हड्डी कम लचीली होती है। अगर दर्द का असर लंबे समय तक रहता है, रोज़मर्रा के कामों को करने में परेशानी होती है, उन कामों या गतिविधियों को करने में दिक़्क़त होती है जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।

उपचार

कमर दर्द के मामले में चिकित्सक विभिन्न विकल्पों के साथ इलाज शुरू करते हैं, जिनमें दवाएं, बिना सर्जरी वाले और सर्जरी वाले उपचार शामिल है। दर्द निवारक दवाएं खाने या त्वचा पर लगाने दोनों प्रकार की हो सकती है। दर्द और सूजन से राहत के लिए खाने वाली सूजन रोधी दवाएं दी जा सकती है। साथ ही, कई घरेलू उपचार भी कमर दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

घरेलू उपचार

कई घरेलू उपचार कमर दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जब भी कमर दर्द हो शरीर को खींचने वाले व्यायाम करें। दर्द वाली जगह पर गर्म और ठंडी सिकाई करें। जो चप्पल और जूते रोज़ पहनते हैं, उन्हें बदल कर देखें, क्योंकि कई बार जूते और चप्पलों के ग़लत चुनाव की वजह से भी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। दर्द वाली जगह पर मालिश करें। अर्निका भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने आहार में केला, पालक, ब्रोकोली, एवोकाडो, अखरोट, बादाम, चिकन, फलियों और कोको आदि को शामिल करें। इनका सेवन कमर दर्द में फ़ायदेमंद माना जाता है।

कमर दर्द की शिकायत अगर अधिक समय तक रहती है, दर्द गंभीर है और आराम करने से ठीक नहीं होता, एक या दोनों पैरों में फैल गया है, ख़ासकर अगर दर्द घुटने के नीचे तक पहुंच जाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ■■

Read & Gift the Copies

UNVEILING THE PALESTINIAN STRUGGLE

By Syed Sadatullah Hussaini

Price ₹ 40.00
Minimum order should be for 3 copies @ ₹125.00
(including Regd. Postal Charges)

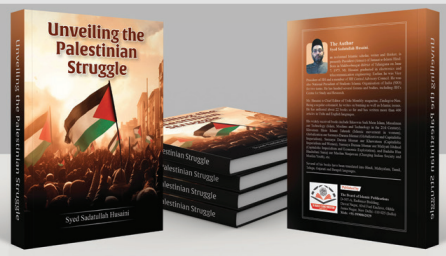

SIZE: 20x30 / 16 PAGES: 40 PRICE: 40

Please Pay By Scanning this QR code and send your payment details along with your postal address to:
Mr. Khalid Nadeem, Manager @ 9990862029 / 01171217923

SCAN & PAY

Bank Details
A/c Name: The Board of Islamic Publications
Account No.: 964385450 Bank Name: Indian Bank
Branch: Jamia Milia Islamia, New Delhi - 110025
IFSC Code: IDIB000J029 | Swift No.: IDIBINBBMAS

Order your copy now from:

The Board of Islamic Publications
D-307A, Abul Fazl Enclave Jamia Nagar, New Delhi – 110 025
Telephone: 011-26971423, 011-71218923,
Web: www.radianceweekly.net, E-mail: radianceweekly@gmail.com

ब्लॉकचेन तकनीक : भविष्य का रोज़गार

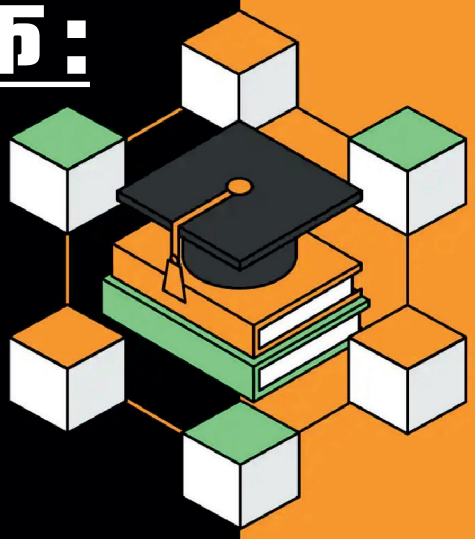

करियर



संपादन प्रभाग

क्या आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक रोमांचक नया करियर शुरू करना चाह रहे हैं? अधिकांश लोग जिनके पास ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी नहीं है, वे इसे बिटकॉइन समझ लेते हैं। हालांकि, बिटकॉइन वह एप्लिकेशन है, जिसने दुनिया को पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक से परिचित कराया। आज के डिजिटल युग में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। यदि आप ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में गंभीर हैं और इसके बारे में सीखना चाहते हैं, या आप इस तकनीक में करियर विकल्प खोज रहे हैं, तो ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए शुरुआत करने के लिए एकदम सही जगह है।

कृत्रिम तकनीक ने इंसान के जीवन और दिन-प्रतिदिन के उसके कार्यों को आसान बनाने और उन्हें त्वरित गति से संपन्न करने की सहूलियत प्रदान की है। लोगों के जीवन से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी जानकारियां, लेन-देन, बही-खाता आदि ऑनलाइन उपलब्ध रहती हैं। इन सूचनाओं पर साइबर अपराधी निगाहें गड़ाए रखते हैं।

छोटी-सी चूक हुई और आपका अति महत्त्वपूर्ण डाटा चोरी। वैज्ञानिक केंद्रों, शोध संस्थाओं, रक्षा केंद्रों, बड़े बैंकों व वित्तीय संस्थानों पर इसका ख़तरा कुछ अधिक ही होता है। 2009 में अस्तित्व में आई क्रिप्टोकरंसी बिटक्वाइन के समक्ष भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई थी। तब इसके संस्थापक सातोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर भरोसा जताया था।

आसान शब्दों में कहें, तो ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर होता है जो दुनिया भर के हज़ारों कंप्यूटरों पर लेन-देन का सेव करता है। ब्लॉकचेन तकनीक सुरक्षा को बढ़ाती है और सूचना के आदान-प्रदान को लागत प्रभावी और अधिक पारदर्शी तरीके से गति बढ़ाने का काम करती है।

क्या है ब्लॉकचेन तकनीक?

दरअस्ल, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के मुख्य लाभों में से एक इसके लेन-देन की प्रक्रिया के एक सुरक्षित और पारदर्शी रेकार्ड प्रदान करने की क्षमता है। जब ब्लॉकचेन पर लेन-देन किया जाता है, तो इसे नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों द्वारा सत्यापित किया जाता है और एक ब्लॉक के रूप में जोड़ा जाता है। इन ब्लॉकों को फिर एक श्रृंखला में एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे नेटवर्क पर होने वाले सभी लेन-देन का एक अटूट रेकार्ड बनता है।

आसान शब्दों में कहें, तो ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर होता है जो दुनिया भर के हज़ारों कंप्यूटरों पर लेन-देन का सेव करता है। ब्लॉकचेन तकनीक सुरक्षा को बढ़ाती है और सूचना के आदान-प्रदान को लागत प्रभावी और अधिक पारदर्शी तरीक़े से गति बढ़ाने का काम करती है। ब्लॉकचेन के महत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों का

ध्यान आकर्षित किया है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय है। ब्लॉकचेन के परिणामस्वरूप हज़ारों नई नौकरी की स्थिति और मोबाइल भुगतान समाधान से लेकर स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों तक के नए स्टार्टअप का विकास हुआ।

वास्तव में ब्लॉकचेन आइटी दुनिया के वर्तमान परिदृश्य में शीर्ष उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में से एक है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का वैश्विक बाज़ार वर्ष 2025 तक लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सैमसंग, आइबीएम, कैपजेमिनी जैसे विभिन्न आइटी बड़ी कंपनियां जो ब्लॉकचेन पेशेवरों के लिए शानदार करियर के अवसर प्रदान कर रही है और आप एक सार्थक और सफल करियर बनाने के लिए ब्लॉकचेन 'डेवलपर' बनने पर विचार कर सकते हैं।

ब्लॉकचेन 'डेवलपर'

ब्लॉकचेन 'डेवलपर' वे लोग होते हैं जो ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करते हैं और संबंधित कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन प्रोटोकाल को डिजाइन करना, स्मार्ट कान्ट्रैक्ट बनाना आदि। एक ब्लॉकचेन 'डेवलपर' के पास ब्लॉकचेन के साथ-साथ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल के आधार पर स्मार्ट अनुबंधों को विकसित और अनुकूलित करने के लिए ज्ञान और कौशल का एक सेट होता है। वे 3-डी मॉडलिंग, 3-डी डिज़ाइन, 3-डी कंटेंट डेवलपमेंट को भी डील करते हैं जैसे कि गेम डेवलपमेंट में होता है।

ब्लॉकचेन 'डेवलपर' के कार्य

ब्लॉकचेन डेवलपर द्वारा योजना के अनुसार डिज़ाइन का विकास और कार्यान्वयन किया जाता है। उसके कार्यों में डीएपी तैयार करना, डिज़ाइन के अनुसार स्मार्ट अनुबंध लागू करना और अन्य सेवाओं और एप के साथ ब्लॉकचेन नेटवर्क के एकीकरण पर रिसर्च और देखभाल करना।

ब्लॉकचेन 'डेवलपर' आर्किटेक्चर के विकास और अनुकूलन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। वे ब्लॉकचेन साल्युशन को सपोर्ट करने वाले प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। ब्लॉकचेन 'डेवलपर', ब्लॉकचेन की कार्यक्षमता और विशेषताओं को लागू करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे इच्छित कार्य करें। वे नेटवर्क की सुरक्षा को डिज़ाइन



और कार्यान्वित करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क चालू है। वे अन्य सेवाओं के साथ ब्लॉकचेन नेटवर्क के एकीकरण की योजना, डिज़ाइन और कार्यान्वयन करते हैं। वे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुविधाओं और कार्यक्षमता का विस्तार करने की योजना बनाते हैं।

आवश्यक योग्यता

सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पढ़ाई होनी चाहिए। आप किसी विशेष स्ट्रीम में स्नातक या मास्टर डिग्री हासिल करने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन 'डेवलपर' बनने के लिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह आपको बुनियादी बातों को समझने में मदद करेगा और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आपकी फाउंडेशन रखेगा।

डिग्री कार्यक्रम के अलावा आप विशेष तकनीक में अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं। ब्लॉकचेन पेशेवर बनने के लिए काफ़ी अधिक समर्पित, कड़ी मेहनत और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन आज ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विकास को देखते हुए ब्लॉकचेन 'डेवलपर' के करियर का दायरा बहुत ही शानदार और उज्जवल होता जा रहा है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको एक गहरी और ठोस नींव प्रदान करेंगे जो आपको ब्लॉकचेन से संबंधित क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रासंगिक प्रमाणन अर्जित करना भी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में एक सफल करियर की कुंजी है। इन योग्यताओं के साथ, आप ब्लॉकचेन तकनीक में अपना करियर बनाने और एक सफल ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में सक्षम होंगे।

रोज़गार के अवसर

जैसे-जैसे ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाना बढ़ेगा, वैसे-वैसे इस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों की मांग भी बढ़ेगी। यह प्रौद्योगिकी और वित्त की दुनिया में क्रांति लाने की कगार पर है। कुछ उद्योगों ने विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन का उपयोग करना शुरू कर दिया है, वहीं कई अन्य ऐसे भी हैं जो अभी संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ■■

मेरा देश महान

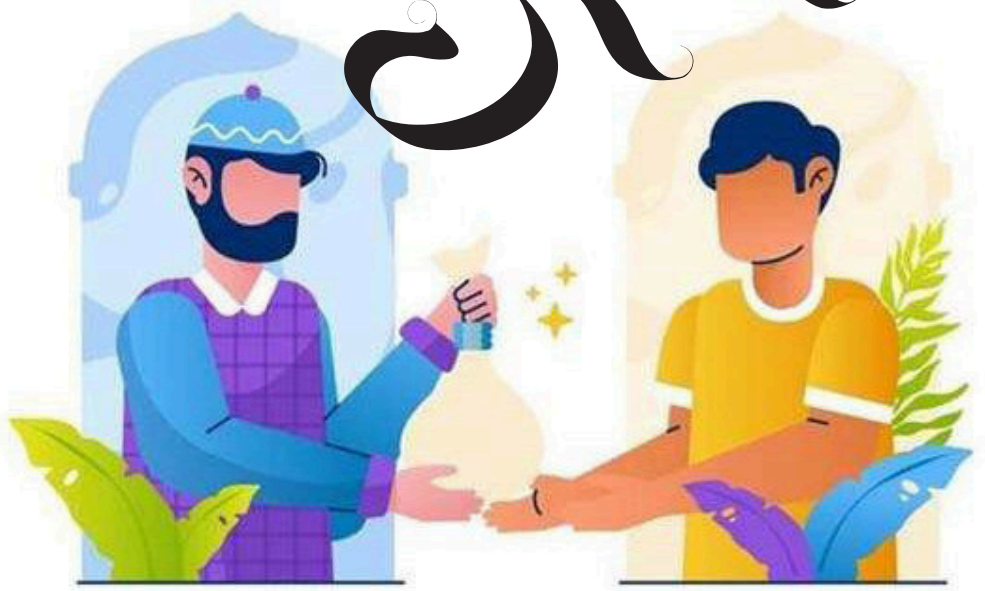

कहानी



डॉ. संगीता झा

"मैडम मैडम कार रोकिए आपकी साड़ी का पल्लू दरवाज़े में फंसा है।" ऐसा कहते हुए एक आदमी हमारी कार के पीछे दौड़ रहा था।

"इसमें नया क्या है? ऐसा तो रोज़ होता है हमारे यहां। तुम भी ना एक बार एक्सीडेंट करा कर ही मानोगी।'' ग़ुस्से में पति ने कार को ब्रेक मार कर रोका। बेचारा...वो अजनबी दौड़ कर आया और कार का दरवाज़ा पूरा खोल मेरा पल्लू अंदर किया और बड़ी शालीनता से दरवाज़ा बंद किया। मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराईं। बड़ी शालीन आंखें थीं वो। मैं थैंक्स या शुक्रिया कहती उसके पहले ही पति ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने पीछे मुड़ उसे हाथ से ही शुक्रिया अदा करने की एक्टिंग की। पति पूरे रास्ते बड़-बड़ करते रहे।

अगले दिन उसी रास्ते से मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, अचानक नज़र लाल सेबों पर पड़ी। अरे, ये तो कल वाला ही आदमी है।

"मेम साब सेब ले लीजिए, देखकर दाम लगा देंगे। एकदम फ़्रेश है, शिमला के हैं।''

पीछे दूसरी कार वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था, उसका रास्ता जो मैंने रोक रखा था।

"कोई बात नहीं मैडम जाइए, आप सामने रहती हैं ना, घर पर पहुंचा देंगे।"

मैं हैरान! कल साड़ी और आज घर...इससे पहले कभी देखा नहीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ड्राइवर से पूछा,"कौन था वो? पहचानते हो उसे।"

ड्राइवर ने बताया,"नहीं मैडम लॉक डाउन होने से बहुत सारे ऑटो वाले कैब वाले भी रास्ते में सब्ज़ी और फलों के ठेले लगाने लगे हैं। उन्हीं में से एक है। इंग्लिश भी जानता है। कल एक लड़के का आधार कार्ड फ़ॉर्म भरा रहा था।"

शाम की ओपीडी क्लीनिक ख़त्म कर घर पहुंची तो फिर उसी शख़्स से सामना हुआ। बड़े अच्छे फ़्रेश फल और सब्ज़ियां लिए बैठा था। मेरा तो मानो उसने दिल जीत लिया, बहुत दिनों बाद बथुआ भाजी और सरसों साग, मेरा दिल तो बाग़-बाग़ हो गया। "नमस्ते मैडम, बंदा हाज़िर आपसे वादा किया था। आपको देखकर ही समझ गया था आप हैदराबाद से नहीं दिल्ली की हैं। इसीलिए बथुए का साग भी ले आया।''

"कितने पैसे हुए?" पूछने पर कहने

लगा,"अरे इस बार इसे मेरी भेंट समझ लें, अगली बार पैसे ले लूंगा। आपने और साहेब ने कितने लोगों की जान बचाई है।"

"ड्राइवर इससे कह दो या तो पैसे ले या सामान ले जाए।'' मेरे सख़्ती से कहने पर ना नुकुर करते हुए उसने पैसे ले लिए और चला गया।

दूसरे दिन फिर सुबह-सुबह ताज़ी मटर और ललचाने वाली गाजर लेकर हाज़िर था। मैंने पूछा, "क्या नाम है तुम्हारा?"

"माई नेम इज़ डेनियल। माई फ्रेंड्ज़ कॉल मी डैनी। यू कैन ऑल्सो कॉल मी डैनी।"

मैं अवाक् बाप रे धुआंधार इंग्लिश पढ़ा-लिखा लगता है।

"कितना पढ़े हो?" मेरा बड़ा रूड प्रश्न था।

"आई हैव डन बीए ओनर्स इन इंग्लिश।''

मेरा अगला पहले से भी ज़्यादा चुभने वाला प्रश्न,"पढ़े-लिखे हो फिर ये सब्ज़ी भाजी क्यों?"

उसका उतना ही नम्र जवाब,"पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। लोन से एक कार ले ली। ओला पूल ज्वाइन कर लिया, अब लॉकडाउन में ख़ुद को बेचने की नौबत आ गई। मरता क्या न करता...बस।"

शायद उसने भांप लिया था कि उसका इंग्लिश बोलना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए सीधी-साधी हिंदी में जवाब दिया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, चुपचाप सब्ज़ी ली, पैसे दिए जो बाज़ार भाव से काफ़ी कम थे। वो चला गया। ये हमारे परिचय की शुरुआत थी। उसके बाद मेरे दिलो-दिमाग़ पर डैनी छा गया। वो उस सड़क मार्केट में सभी का चहेता था। पति मेरे ऊपर गुर्राते,"व्हाट इज़ दिस? ना जानती ना पहचानती, इतना घर में घुसाना ठीक नहीं।''

मैं कहती, "अरे शरीफ़ है, पढ़ा-लिखा है। लॉकडाउन ने सबकी बैंड बजा दी है वरना दो-दो कारों का मालिक था।''

हम भी घर पर अकेले रहते थे, दोनों बच्चे बाहर रहते थे। छोटे-छोटे कामों के लिए मुझे डैनी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। ड्राइवर नहीं आया तो वो मेरा ड्राइवर बन जाता। किचन के कामों में भी उसका जवाब नहीं था। कुक के ना आने पर इतने अच्छे मोमोज मंचूरियन और ना जाने क्या-क्या बनाकर खिलाने लगा था।

केवल छः महीने में डैनी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। बेटे की पुरानी टी-शर्ट शॉर्ट्स में पीछे से वो मेरे बेटे जैसा ही लगता। कई बार जब मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए जाती और किसी मित्र ने अगर दूर से देख लिया तो घर पहुंच कर एक फ़ोन आता, "वाह क्या बात है? बड़ा मटक रही है, बेटा जो आया है।"

मुझे हर बार बताना पड़ता ये बेटा नहीं बेटे जैसा डैनियल है। एक साल आते तक तो वो मेरे सारे हॉस्पिटल के दोस्तों और दूसरे सारे दोस्तों का चहेता बन गया था। केवल पति ही खिंचे-खिंचे रहते और हर वक़्त समझाते कि किसी अनजान को इतनी जगह देने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे बताया था कि उसकी बीवी मारिया दो बच्चों के साथ गोवा में रहती है और वो वहां एक स्कूल में पढ़ाती है। दो बार वो एक हफ़्ते के लिए अपने बच्चों के पास गया भी था। मेरी तो उन दिनों हालत बड़ी ख़राब थी, क्योंकि मेरे तो सारे काम वही करने लगा था यहां तक कि बैंक के भी। लेकिन मजाल है कि पति देव ने एक भी काम उससे कराया हो। वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर यहां तक की ज़रूरत पड़ने पर मोची का काम भी कर सकता था और पाक विद्या भी उससे अछूती नहीं थी। मेरे दिलो-दिमाग़ पर पूरी तरह से डैनी छाया हुआ था। बच्चे भी दूसरे देशों में फंसे थे और सुबह-शाम मेरे फ़ोन का इंतिज़ार करते थे। उनके साथ लैपटॉप पर रूबरू बात कराना भी डैनी की ही ज़िम्मेदारी थी। बच्चे भी हैरान! मां इतनी टेक्नोक्रेट कैसे बन गयी।

अपनी सब्ज़ी बेचने से हुई कमाई और इधर-उधर के कामों से हुई कमाई वो मेरे पास ही रखता था। उसका कोई ख़र्चा नहीं था, क्योंकि उसका खाना-पीना सब हमारे नहीं तो जिसकी भी वो हेल्प करता था उनके यहां हो जाता था। मेरे घर पर उसका एक बैग था जिसमें वो पैसे रखता था। एक दिन बड़ा ख़ुश था और कहने लगा, "मैडम मेरे पास तीन लाख रुपया जमा हो गया है। मैं आपके अकाउंट में जमा कर देगा और आपके अकाउंट से अपना सिस्टर को आरटीजीएस कर देगा।"

मैं हैरान,"सिस्टर को क्यों मारिया को क्यों नहीं!"

डैनी, "मारिया जॉब करता है। शी हैज़ इनफ़ मनी। सिस्टर का हसबैंड का जॉब नहीं है। छोटा-छोटा बच्चा है उसका।''

मैं तो उसके इस रूप पर भी फ़िदा हो गयी। मैंने उसके लाए आरटीजीएस फ़ॉर्म में भी साइन कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा। उसके पास ना आधार कार्ड था ना पैन कार्ड, इसीलिए पति उससे दूर रहने कहते थे। मेरे अकाउंट में जितने पैसे जमा करता उतने ही का वो आरटीजीएस करता था। इससे मैं वैसे ही केयरलेस थी और कुछ डैनी की अंधभक्ति ने बना दिया था।

एक दिन सुबह-सुबह बड़ा उखड़ा-

सा डैनी आया और कहने लगा, "मैम घर से फ़ोन आया है मारिया बीमार है, कोविड हो गया है। इतना समझाया था बिना मास्क के कहीं जाना नहीं। बच्चे छोटे-छोटे हैं, जाना पड़ेगा।"

मैं भी उसकी परेशानी देख उतनी ही परेशान हो गई। मैंने भी उसे जाने की सलाह दी।

वो कहने लगा, "हैदराबाद बहुत सेफ़ है, गोवा जाने में मेरी जान को भी ख़तरा है। मारिया भी मना कर रही है।"

उसके पास जो फ़ोन था वो एक दूसरे सब्ज़ी वाले उस्मान के नाम का था, क्योंकि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही लॉकडाउन के जस्ट पहले गुम हो गया था। दो तीन दिनों वो बड़ा परेशान था और मैं भी कुछ भी करने को तैयार थी। ठीक वैसी ही तड़प थी जो बच्चों के बीमार होने पर हुआ करती थी। अचानक वो ग़ायब हो गया और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था जो उसका नहीं था।

कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन दो सालों में हमारा एक ऐसा रिश्ता हो गया था जो केवल महसूस किया जा सकता था। पति को इस सबसे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ रहा था वो बड़े शांत थे और मेरी टांग खिंचने का कोई मौक़ा नहीं चूक रहे थे।

मेरे दस दिन इस तरह गुज़रे मानो किसी क़रीबी की मौत हो गई हो। उसका ज़िंदगी से इस तरह बिना बताए जाना मुझे बड़ा चुभ रहा था। एक सुबह अचानक उसी सड़क पर बैठने वाला मोची रामू मेरे घर आया और बदहवास-सा चिल्लाने लगा, "डॉक्टर मैडम कुछ कीजिए डैनी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। वो रो रहा है लेकिन पुलिस उसे आतंकवादी कह रही है। उसका नाम भी अशरफ़ है। मैडम मेरा यार सब कुछ हो सकता है देश द्रोही नहीं।"

मुझे तो जैसे पाला मार गया कि ये रामू क्या बोले जा रहा है। वो तो बोलता ही जा रहा था, "मैडम उसे डैनी नाम रखने को अपन ही ने बोला था। उसका अशरफ़ नाम पे कोई काम भी नई देता और घर भी नहीं दे रहा था। उसका पुराना घर मेरी बहन के घर के पास था। वहां सब हिन्दू लोग थे, उसको लॉकडाउन में गवर्नमेंट गाड़ी का दाल-चावल भी नहीं लेने देते थे। वो बेचारा तो मरने को जा रहा था। मैं ही उसको बोला फ़ैमिली को गांव भेज के इधर आने को। वो सब काम जानता है। रात को भी कन्स्ट्रक्शन साइट पर जाके हेल्प करता था।"

मैंने पूछा, "फ़ैमिली गांव कौन-सा? गोवा..."

"अरे नई मैडम आपको ऐसेइच गोवा बोला। उसका बीवी-बच्चा लोग कानपुर के पास उन्नाव में रहता है।"

रामू बोलता जा रहा था, "उसके पास आधार कार्ड था। मैंने ही उसको छिपा के रखने के लिए बोला। आप कुछ करिए मैडम, वो बहुत अच्छा है। आप तो जानते हैं ना।"

मैं भी चिल्लाने लगी, "तुम्हें लगता है कि मुझे किसी के मुसलमान या ईसाई होने से फ़र्क़ पड़ता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।"

पति देव तो खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहे थे मानो मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो, "कितनी बार समझाया है बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को घर में घुसने मत दो। आप तो चेहरा देख के लोगों की सच्चाई भांप लेती हैं। अब भुगतो।"

मुझे तो मानो सांप सूंघ गया। बेटे जैसा क्या कुछ समय तो बेटे से भी बढ़कर। अभी पहली वेव में मुझे कोविड हुआ था तो पति भी नहीं आते थे मेरे पास। डैनी था, जो रात-दिन मेरी सेवा कर रहा था। कोविड कोढ़ से ज़्यादा दुतकारा जा रहा था। दोनों बच्चे फ्लाइट बंद होने की वजह अपनी-अपनी जगहों पर अटके हुए थे। क्या फ़र्क़ पड़ता है मुझपे जान लुटाने वाला डैनी नहीं अशरफ़ है। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं और वो बेचारा देशद्रोही की उपाधि लिए जेल में सड़ रहा था।

आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतिज़ार रहता है। अपने हॉस्पिटल के अलावा यहां-वहां कुछ विमेन्स ऑर्गनाइज़ेशन में भी बतौर गेस्ट बुलाया जाता है। और यहां मेरे पास बुक अकाउंट की सीआईडी तफ़सील कर रही है कि हर महीने मेरे अकाउंट में कुछ कैश जमा होता है और उतना ही पैसा उसी दिन उन्नाव की किसी जमीला बी के अकाउंट में आरटीजीएस होता है और बाक़ायदा मेरे साइन के साथ।

मैं ख़ुद के एक कटघरे में खड़ी हूं, जहां मेरी भर्त्सना मेरे पति और दोनों बच्चे फ़ोन पर कर रहे हैं। सारे दोस्त मुझे स्टूपिड लेडी का ख़िताब दे किसी तरह यहां-वहां फ़ोन कर मेरे बचाव के रास्ते सोच रहे हैं। कोई भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मैं एक ख़ाली आरटीजीएस के पेपर पर साइन करती थी और बाक़ी डीटेल्स मेरा लाडला डैनी उर्फ़ अशरफ़ भरता है। इतना कैश ट्रांजेक्शन एक साल से और वो भी एक मुसलमान औरत को, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं। मैं मूरख अभी भी सोच रही हूं, देखो हम कैसे हिंदू मुसलमान में बंट गए हैं कि एक बेचारे अशरफ़ को डैनी बन अपना गुज़ारा करना पड़ रहा है। उसे ये क्यों करना पड़ा? क्या सचमुच हिंदू बस्ती में उसका जीना हराम हो गया था? इन प्रश्नों पर किसी का ध्यान नहीं था, सचमुच मेरा देश महान। ■■

ईश्वर मानव जाति से निराश नहीं



आख़िरी पन्ना

अबुल हसन
अली नदवी

ईश्वर का मामला मानव जाति के साथ और मानव जाति का मामला मानव जाति के साथ बिल्कुल उल्टा है। ईश्वर मानव जाति से निराश नहीं, उसकी मेहरबानियां इस संसार पर बरस रही हैं, लेकिन हमारा मामला एक-दूसरे के साथ यह बताता है कि हम मानव से निराश हैं। किसी विचारक ने कहा है कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है वह इस बात का ऐलान करता है कि ईश्वर मानव जाति से निराश नहीं है, यदि निराश होता तो इस नस्ल में बढ़ोत्तरी नहीं करता, लेकिन इन्सान, इन्सान का गला काटता है, इन्सान से नफ़रत करता है, मानव, मानव का शोषण करता है, जोंक की तरह ख़ून पीता है, उसे ग्राहक समझ कर लाभ उठाता है और अपने आचरण से इस बात का ऐलान करता है कि मानवता की क्षमता और उसके भविष्य से वह निराश है। ईश्वर और इन्सान के यह प्रदर्शन बराबर जारी हैं। वर्षा की एक-एक बूंद इसका ऐलान करती है कि दुनिया का पैदा करने वाला अपनी प्यासी और ज़ालिम दुनिया से अभी निराश नहीं है।

धरती में उर्वरक शक्ति है, इसकी पैदावार इस बात का ऐलान है कि ईश्वर इस धरती के वासियों से निराश नहीं। सूर्य चमकता है और वहां कोई स्ट्राइक नहीं, चांद बराबर निकलता है और अपनी चांदनी की चादर को फैलाता है, आंखों को ठंडा करता है, दिलों को भी ठंडक पहुंचाता है, यह सब इस बात का ऐलान है कि ईश्वर मानव से अभी निराश नहीं, लेकिन हमारा और आपका व्यवहार यह सिद्ध करता है कि हम मानव से निराश हैं। हम अपने आचरण व व्यवहार से इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे सामने उस इन्सान की, जो ईश्वर की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है कोई क़ीमत नहीं।

“इस दुनिया के साथ ईश्वर का सारा मामला बताता है कि वह मानव जाति से निराश नहीं। आप का वाटर वर्क्स पानी रोक सकता है, आप का पावर हाउस बिजली रोक सकता है तो क्या खुदा अपनी नेअ़मते नहीं रोक सकता? खुदा इस दुनिया को पानी भी दे रहा है और रोटी भी दे रहा है और पूरा कारखाना मानव की सेवा में लगा हुआ है। खुदा हमसे निराश नहीं हुआ, लेकिन हम अपने आचरण से क्या साबित कर रहे हैं?”

“किसी विचारक ने कहा है कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है वह इस बात का ऐलान करता है कि ईश्वर मानव जाति से निराश नहीं है, यदि निराश होता तो इस नस्ल में बढ़ोतरी नहीं करता।धरती में उर्वरक शक्ति है, इसकी पैदावार इस बात का ऐलान है कि ईश्वर इस धरती के वासियों से निराश नहीं। सूर्य चमकता है और वहां कोई स्ट्राइक नहीं, चांद बराबर निकलता है और अपनी चांदनी की चादर को फैलाता है, आंखों को ठंडा करता है, दिलों को भी ठंडक पहुंचाता है, यह सब इस बात का ऐलान है कि ईश्वर मानव से अभी निराश नहीं, लेकिन हमारा और आपका व्यवहार यह सिद्ध करता है कि हम मानव से निराश हैं।”

ईश्वर के ऐश्वर्य और उसके गढ़न की अभिव्यक्ति व प्रदर्शन हर वस्तु में है। फूल, कली, बूंद, घास का तिनका, मिट्टी के कण, पेड़ के पत्ते जिस चीज़ को भी देखिए तो मालूम होगा कि उसमें एक दुनिया है। इनमें सर्वोत्तम मानव की रचना है। पूरी सृष्टि उसकी सेवा के लिए पैदा की गई है। यह सब इस बात का ऐलान है कि इन्सान ईश्वर का प्रिय है, सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, लेकिन हमारी और आपकी कार्यशैली यह सिद्ध करती है कि मानव में कोई गुण नहीं हम अपने अमल (कर्म) से ख़ुदा की अदालत में अपने ही के विरुद्ध मुक़दमा दायर कर रहे हैं कि हमको दुनिया से उठा लिया जाए।



मानों हम फ़रिश्तों की उस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि जिसकी काट ख़ुदा ने की थी। जब मानव रचना के समय ईश्वर ने कहा था, ‘‘मैं इस धरती पर अपना ख़लीफ़ा और नाइब (प्रतिनिधि) बनाना चाहता हूं,’’ तो फ़रिश्तों ने आशंका व्यक्त की थी कि, क्या आप ऐसे को ख़लीफ़ा बना रहे हैं जो धरती पर बिगाड़ पैदा करेगा और ख़ून बहाएगा? जब ईश्वर ने आदम से चीज़ों के ज्ञान के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने ठीक प्रकार से उत्तर दिया। फ़रिश्ते जवाब नहीं दे सके। ईश्वर ने इन्सान को जिताया था, हम उसको हरा रहे हैं।

ईश्वर ने कहा तुम को मालूम नहीं मनुष्य में कैसे-कैसे गुण हैं। उससे ज्ञान की सरिता कैसे फूट निकलती है। समुद्र में वह विशालता और गहराई न होगी जो उसमें है। उसकी आंखों में प्रेम की जो चमक है उसे प्रस्तुत करने में तुम असमर्थ हो। उसके दिल में नर्मी है, कसक है, प्रेम है, उस पर दर्द की चोट लगती है। फ़रिश्तों के पास यह दौलत नहीं।

मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वह दया की पूंजी है वह प्रेम की पूंजी है। वह एक आंसू है जो मानव की आंख से किसी विधवा के सर को नंगा, किसी ग़रीब के चूल्हे को ठंडा, किसी रोगी की कराह सुनकर टपक पड़ता है। आंसू की वह बूंद जो समुद्र में डाल दी जाए तो उसे पवित्र कर दे, गुनाहों के जंगल में डाल दी जाए तो सबको जलाकर रोशनी से बदल दे। फ़रिश्ते सब कुछ पेश कर सकते हैं, किन्तु आंसू की वह बूंद नहीं पेश कर सकते जो एक इन्सान दूसरे इन्सान के लिए बहाता है।

इन्सान के पास सबसे अनमोल चीज़ यह है कि वह दूसरे के दुख-दर्द

से प्रभावित होता है। उसके अन्दर प्रेम की एक चिन्गारी है उसे दहकाने वाली कोई चीज़ मिल जाए ये वह प्रज्जवलित (दहक) हो उठती है। फिर वह इन्सान न मज़हब को देखता है, न सम्प्रदाय को, न वतन को देखता है, न देश को देखता है, इन्सान इन्सान का दिल देखता है, उसके दर्द को महसूस करता है जिस प्रकार चुम्बक लोहे को खींचता है उसी प्रकार इन्सान के दिल का चुम्बक इन्सान के दिल को खींचता है।

अगर इन्सान से यह दौलत छीन ली जाए तो वह दीवालिया हो जाएगा। यदि



कोई देश इससे वंचित हो जाए तो वह कंगाल हो जाएगा। अगर अमेरिका की दौलत, रूस की व्यवस्था, अरब देशों के पेट्रोल के कुएं हुन बरसाते हों, सोने और चांदी की गंगा-जमुना बहती हो, लेकिन उस देश में प्रेम का स्रोत सूख चुका हो तो वह देश कंगाल है।

अभी इन्सान की आंख आंसू बहाने के क़ाबिल है, अभी इन्सान का दिल तड़पने, सुलगने और चोट खाने के क़ाबिल है, जो दिल इस क़ाबिल नहीं है ऐसा दिल, दिल नहीं पत्थर है चाहे वह मुसलमान का दिल हो या हिन्दु, सिख, ईसाई का दिल हो। दिल तो इसलिए है कि वह तड़पे, कांपे, रोये। इसमें धरती से अधिक हरियाली, झरने से अधिक प्रवाह, सृष्टि से अधिक विशालता और बादलों से अधिक बरसने की क्षमता है।

जो हाथ मानवता की सेवा के लिए नहीं बढ़ता वह पंगु है। अगर इन्सान की ज़िन्दगी का उद्देश्य केवल जमा करना था तो उसके सीने में धड़कते हुए दिल के बजाए तिजोरी रख दी जाती। अगर इन्सान का काम केवल बर्बादी की योजना बनाना था तो उसके अन्दर इन्सान का दिमाग़ न रखा जाता बल्कि किसी शैतान, किसी राक्षस का दिमाग़ रख दिया गया होता।

प्रभु ने इन्सान को ऐसा दिल दिया है कि दुनिया के एक छोर में किसी को तकलीफ़ हो तो वह दूसरे छोर में तड़प उठे। जो दिल किसी का दिल दुखाये, किसी को तकलीफ़ पहुंचाये वह दिल किस गिनती के क़ाबिल है।

इस दुनिया के साथ ईश्वर का सारा मामला बताता है कि वह मानव जाति से निराश नहीं। आपका वाटर वर्क्स पानी रोक सकता है, आप का पावर हाउस बिजली रोक सकता है, तो क्या ख़ुदा अपनी नेमतें नहीं रोक सकता? ख़ुदा इस दुनिया को पानी भी दे रहा है और रोटी भी दे रहा है और पूरा कारख़ाना मानव की सेवा में लगा हुआ है। ख़ुदा हम से निराश नहीं हुआ, लेकिन हम अपने आचरण से क्या साबित कर रहे हैं?

अभी इन्सान की आंख आंसू बहाने के क़ाबिल है, अभी इन्सान का दिल तड़पने, सुलगने और चोट खाने के क़ाबिल है, जो दिल इस क़ाबिल नहीं है ऐसा दिल, दिल नहीं पत्थर है चाहे वह मुसलमान का दिल हो, या हिन्दु, सिख, ईसाई का दिल हो। दिल तो इसलिए है कि वह तड़पे, कांपे, रोये। इसमें धरती से अधिक हरियाली, झरने से अधिक प्रवाह, सृष्टि से अधिक विशालता और बादलों से अधिक बरसने की क्षमता है।

क्या हम साबित कर रहे हैं कि हम इन्सान को कोई बड़ी चीज़ समझते हैं? अपने बराबर का समझते हैं, अपने शरीर का टुकड़ा समझते हैं? हमारा आचरण इन्सानी आबादी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इन्सान से दुश्मनी और इन्सानियत के कुचल जाने का ख़तरा, इन्सानियत की ख़ैरख़्वाही से आंखें बन्द कर लेना। इस ख़तरे से देश को भी और क़ौम (राष्ट्र) को भी बचाने की ज़रूरत है। ■■

फ़लाह पाने वाले!

रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया : उस शख़्स ने फ़लाह पाई जिसने (अपने रब की) इताअत कर ली और उसे बक़द्र ज़रूरते-रिज़्क़ अता किया गया और अल्लाह ने जो उसे अता किया उस पर उसने क़नाअत इख़्तियार की।

(मिश्कात : 5165)

With Best Compliment From

Goa Barrels Supplier
&
Hindustan Containers

PLOT NO S-2, , COLVALE INDUSTRIAL ESTATE, COLVALE GOA, Goa - 403507.

KANTI Monthly, New Delhi
MARCH 2024
Posted on 20-21 February 2024
Published on 18 February 2024
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

"तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।"

(कुरआन, 24:22)

A Well Wisher

Ashaz Khan (Goa)